we have with us, seated in the Special Box, members of a Parliamentary Delegation from Madagascar, currently on a visit to our country, under the distinguished leadership of His Excellency, Mr. Emmanuel Rakotozafy, Vice-President of the National Assembly of Madagascar.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the leader and other members of the Delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Parliamentary System, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Madagascar. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Madagascar.

अब श्री एस.एस. अहलुवालिया....आप भी ज़रा संक्षेप में बोलिएगा ....यकीनन आप बिहार के हैं।

THE BIHAR REORGANISATION BILL, 2000 *-Contd.*

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, मैं वर्षों से बिहार पर बोलता रहा हूं इस सदन में। इस सदन के अंदर और सदन के बाहर, कभी गर्व से और कभी पीड़ा से कई बार मैंने अपने उद्‌गार प्रकट किए हैं और आज एक ऐसी बेला है शायद जिसके लिए मैं उचित शब्द न ढूंढ सकूं। यह दुख में सुख का सम्मिलन है और शायद प्रधान मंत्री महोदय यहां उपस्थित होते तो इस दुख और सुख के सम्मिलन को अपनी कविता में लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते थे। मैंने भी एक कवि को पढ़ा तो ऐसा महसूस हुआ -

"यह शाम उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का,
चिर हास अश्रुमय पीड़न, रे इस मानव जीवन का।"

महोदया, मुझे गर्व इस बात का है कि आज तक जो बिहार था, वह एक ऐसा गौरवमय बिहार है जिसका अपना गौरवमय इतिहास है। अभी मेरे पूर्व वक्ता जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी कह रहे थे, अशोक की बात कर रहे थे और गुरु दक्षिणा की मांग कर रहे थे। यह वही बिहार है जहां गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ और ग्रेट कलिंग वार को जीतकर जब सम्राट अशोक लौटे थे तो उनको लोग सम्राट अशोक कह कर नहीं पुकार रहे थे, rather चांडाल अशोक कह कर पुकार रहे थे क्योंकि इतना कत्ल और गारद हुआ था। जब सम्राट अशोक ने आकर यह देखा कि उसकी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेन्द्रू दोनों ही

"बुद्धम् शरणम् गच्छामि" कहते हुए बौद्ध भिक्षु हो गए हैं तो पटना में गंगा के किनारे महेन्द्रू घाट पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र-शस्त्र गंगा मैया को उत्सर्ग कर दिए और चांडाल अशोक धर्म अशोक में परिणत हो गए और "अहिंसा परमो धर्म:" का नारा देकर सारे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लीन हो गए। महोदया, मुझे गर्व है बिहार पर, जिस बिहार पर मेरे तीन गुरूओं की सह प्राप्त है। सर्वप्रथम गुरूनानक जी आए, उसके बाद नवम् गुरू आए जिन्होंने जनेऊ, तिलक और चुरकी की रक्षा के लिए बलिदान दिया, इसी लाल किले के सामने शीशगंज गुरूद्वारा उनके बलिदान का प्रतीक है। गुरू तेगबहादुर आए और गुरू गोबिन्दसिंह जी का जन्म हुआ और वहीं से गंगा के किनारे-किनारे आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए मुगलिया सलतनत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक तलवार उठा ली। श्री गोविन्दराय गुरू गोविन्दसिंह कहलाए, जो खालसा पन्थ के सृजना हैं। मैं भगवान महावीर को भूल नहीं सकता। आज जो पारसनाथ मंदिर खड़ा है, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। आज पारसनाथ मंदिर झारखंड के इलाके का हिस्सा बन जाएगा और पावापुरी बिहार में रह जाएगा, यह प्रतीक है। एक तरफ ये स्थान यहां रहेंगे बौद्ध गया तो बाबा भोले नाथ चले जाएंगे झारखंड में। आज श्रावण के महीने में आप देखिए, लाखों की तादाद में लोग "बोल बम, बोल बम" का नारा लगाते हुए जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कितनी खुशी का माहौल होगा, क्योंकि सोमवार को श्रावण माह की अंतिम सोमवारी है, उसके दूसरे दिन राखी पूर्णिमा है, लोग वहां जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। शायद बिहार वासी अपनी डोलचियों में अपने लोटों में और अपने पवित्र बरतनों में अपने आंसू भी भरकर रह जाएंगे। उनको चढ़ाने के लिए वे आंसु बिछड़ने के हैं और इसके साथ-साथ एक सपना भी है एक राज्य की कल्पना का। मैडम, मैं आंसु क्यों कहता हूं, उस नार्थ बिहार की सघनता जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी शायद केरल के बाद आती है, उस नार्थ बिहार में जो नदियां विभीषिका बनकर आती हैं उससे 70 प्रतिशत से ज्यादा स्थान पानी में डूबा रहता है। आज सब के मन में यह संशय है, दुख है कि हमें क्या करना है, एक प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। जैसे नार्थ बिहार का कोई आदमी साउथ बिहार में आज तक झारखंड के इलाके में नौकरी भी न करता हो, इसके बावजूद भी उसके मन में दर्द है, तकलीफ है,। तटबंध बनाए गए और उन पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है परन्तु जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो वही नदी जो कभी "गंगा मैया तोहे पीयरी चढैबो" जिसको पूजकर लोग उससे दुवाएं मांगते हैं। जब विभीषिका बनकर आती है तो वह कुछ नहीं पूछती, सबको डुबोकर रसातल में मिलाकार चली जाती है। आज तक हम गंगा के फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सके। कुछ पानी जो नेपाल से आता है उसके कारण भी हम ग्रसित हो जाते हैं। मध्य बिहार के 9 जिलों में से 7 जिले सुखाड़ से ग्रसित रहते हैं। हर एक बिहारी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि हमारा क्या होगा। वही सवाल मेरे मन में भी उठता है। लेकिन जब यह सवाल उठता है तो मैं भारत के और हिस्सों की ओर देखता हूं कि हरियाणा का क्या हुआ होगा जब वह बंटा होगा, जिसके पास कोई खनिज सम्पदा भी नही है। वह मनोबल लेकर आगे बढ़ा और एक अच्छा राज्य बन गया, आज उस मनोबल की जरूरत है और मनोबल के साथ-साथ अर्थबल की भी जरूरत है। इस विधेयक में कुछ प्रावधान हैं पर हमारी गुजारिश है कि रेस्ट ऑफ बिहार के डे॰, मेंट के लिए जैसां अर्थव्यवस्था की जरूरत है, प्लानिंग

कमीशन में जो एक स्पेशल सैल खोलने की बात है, यह खोल दिया जाए। हमें एक नये सिरे से बिहार को बसाने की बात सोचनी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से या दूसरे किसी और भी रूप से आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए आपको दो लोग जरूर मिल जाएंगे एक तो पंजाब के और दूसरे बिहार के। आपको बताएंगे ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : अहलुवालिया जी, आपकी पार्टी के दो लोग और हैं इस बात को ध्यान में रखें। एक मिनट और बोल लीजिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदया, जिस झारखण्ड के बारे में पहले वनांचल को लेकर हमारी पार्टी के लोगों ने आंदोलन छेड़ा उस पर आज सवाल यह था कि वनांचल बने या झारखण्ड। शैक्सपीयर ने एक जगह कहा है कि नाम में क्या रखा है। अगर हम गुलाब के फूल को किसी दूसरे नाम से भी पुकारें तो उसकी सुगंध कोई छीन नहीं सकता। इसलिए यह बात सही है कि यदि वनांचल की जगह झारखण्ड हो तो कोई बात नहीं। यह तो बड़प्पन है आडवाणी जी, प्रधानमंत्री जी का और विपक्ष के सारे नेताओं का जिन्होंने झारखण्ड पर सहमति प्रकट की और इसका समर्थन कर रहे हैं। महोदया, झारखण्ड का वह भूभाग, जो पिछड़ा हुआ महसूस किया जाता है परंतु अखबार के पन्नों पर नहीं दिखता, हाईलाइट नहीं होता, विश्व का सबसे प्राचीन भूभाग है। ब्रिजेश रिपोर्ट के अनुसार भी यह सबसे प्राचीन भूभाग है। यहां की खरवार जनजाति महाभारत के टाइम से चली आ रही है। महोदया, पांडु पुत्र अर्जुन ने द्रोपदी के सिवाय और दो विवाह किए थे और उसमें ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : मुझे लगता है कि इन तीन बिलों से जितनी मुझे भारत की संस्कृति की नोलेज मिली है पहले कभी नहीं मिली। हिस्टोरिकल ज्यादा मिली है, पोलिटिकल कम।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : एक तो उलूपी थी, जो नाग कन्या थी और दूसरी चित्रांदा थी जो इसी इलाके, झारखण्ड के इलाके से थी। यहां अर्जुन दस माह रहे और बभ्रुवाहन वीर पुत्र पैदा हुआ जिसने महाभारत की लड़ाई में हिस्सा लिया। मेदिनीराय उनके बाद हुए जिन्होंने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ शाहजहां के शासनकाल में उसकी खिलाफत की, वे बभ्रुवाहन के वंशज थे। महोदया, यह संस्कृति, यह सभ्यता पूरे बिहार की है। मैंने इस सदन में बिहार की बात उठाई, उसकी बातें बोलता रहा, भविष्य में भी बोलता रहूंगा। इस भूभाग से मुझे झारखण्ड का सांसद बनने का गौरव प्राप्त हो रहा है। महोदया, एक बहुत महत्पूर्ण बात मैं सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, कहेंगे कि अहलुवालिया जी बेगुसराय छोड़कर झारखण्ड जा रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बेगुसराय मेरी कर्मभूमि रही है। मैं वहां मेहनत करता रहा, लोगों के साथ काम करता रहा, उनके विकास के लिए जूझता रहा। जब मैंने अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया : मैंने गंधर्व विवाह किया था और वह विवाह मैंने ...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Madam, he is talking about *Gandharv Vivah.* We would like to know about that.

उपसभापति : एक दिन हम लोग इस पर स्पेशल डिस्कशन कर लेंगे।

श्री राम देव भंडारी (बिहार): मैडम, अहलुवालिया जी तो पूरा रहस्याद्घाटन कर रहे हैं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : यह विवाह मैंने जमशेदपुर में किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पत्नी बंगाली ब्राह्मण परिवार से है। ...**(व्यवधान)**... नहीं, एक ही विवाह किया। मैंने पांडु पुत्र की तरह नहीं किया। तो मेरा एक सरोकार इस इलाके से शुरू से रहा है। महोदया, यह राज्य जो आप बनाने जा रहे हैं यह एक तरफ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी बंगाल से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। यह चारों तरफ से घिरा हुआ है। नया राज्य बनने के बाद मंत्री बनेंगे, बड़े बड़े ओहदेदार बनेंगे किन्तु है पिछड़े हुए बिहार के लिए और झारखंड के लिए हमारी एक ही अभिलाषा है, एक ही प्रार्थना है कि जहां विकास नहीं है वहां विकास हो, बेघर को घर मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले, अनपढ़ को शिक्षा मिले, भूखे को रोटी मिले, असुरक्षित को सुरक्षा मिले, प्रताड़ित को न्याय मिले और शोषणग्रस्त को मुक्ति मिले। यही मेरी कल्पना है यही, मेरी प्रार्थना हैं और मेरा यही अनुरोध मंत्री महोदय से है कि यदि यह दिलायें तो राज्य वाकई में स्वराज के रूप में उभर कर सामने आएगा! धन्यवाद।

उपसभापति : आपकी क्या समस्या है। दो स्पीकर आपसे पहले हैं। एक तो रंजन प्रसाद यादव और दूसरे दारा सिंह चौहान। आप अपनी समस्या उनके सामने कह दें। वे अगर कहेंगे तो मैं पहले आपको बुला दूंगी क्योंकि किसी को ट्रेन पकड़नी है, किसी को खाना खाना है, किसी को जुम्मे की नमाज पढ़नी है। आप रेक्वेस्ट कर लें।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (बिहार) : मैं अपने साथियों से गुजारिश करता हूं कि आज जुम्मे का दिन है मुझे नमाज के लिए जाना है। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं आपसे पहले बोल दूं।

उपसभापति : चार मिनट बोल दीजिए।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : शुक्रिया मैडम डिप्टीचेयरमैन। आज बिहार के बंटवारे पर राज्य सभा में आखिरी मोहर लगाई जा रही है। यह बंटवारा ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : यह बंटवारा नहीं, पुनर्गठन है।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मैं पूछना चाहता हूं कि यह पुनर्गठन क्या बंटवारे के बगैर हो रहा है? पुनर्गठन की कोई और परिभाषा सामने आती हो तो बहुत अच्छी बात है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : बंटवारे का मतलब है तकसीम।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : तकरीम ही हो रहा है। कल बिहार झारखंड नहीं रह जाएगा, झारखंड बिहार नहीं रह जाएगा। दोनों सूबे अलग अलग होंगे, दोनों के

1.00P.M.

चीफ मिनिस्टर अलग अलग होंगे, दोनों का शासन-प्रशासन अलग अलग होगा। बंटवारा इसको नहीं कहते तो किस को कहते हैं?

खैर मैं इस बहस में नहीं पड़ता ...

उपसभापति : बोलिए ., बोलिए, आपके पास चार मिनट ही हैं। इसमें बंटवारे के साथ दूसरी भावनायें जुड़ी हुई हैं इसलिए इस पर लोगों को ऐतराज है।

* **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार से मेरा एक खुशूशी ताल्लुक है और बिहार से मेंबर आफ पार्लियामेंट की हैसियत से मैं बिहार की नुमाइन्दगी करता हूं। बिहारियों की बहार छीनने वालों तुम्हें बिहार की आहें सलाम करती हैं। बिहार जिस दुख-दर्द के माहोल से गुजर रहा है उससे पूरे बिहार में एक मातम का समा बंधा हुआ है। हमारे अहलुवालिया जी ने अभी बतलाया कि इसके बाद बिहार के पास कुछ नहीं रह जाता है। मैडम, बिहार का बंटवारा मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ और यू.पी. के उत्तराचंल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। छत्तीसगढ के पास कुदरत का खजाना है, बिहार के पास झारखंड की शक्ल में कुदरत का खजाना मौजूद था। आज बिहार की जो पोजीशन है, इस झारखंड के बन जाने के बाद गंगा का पानी और नदी का बालू इसके अलावा बिहार के पास कुछ नहीं रह जाता। मुल्क की आजादी के बाद देश के सूबों की तामीर और तरक्की के लिए सूबे के लोगों ने मुनासिब जगहों पर डेवलपमेंट का एक नक्शा बनाया था। सारे बिहारियों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई दक्षिणी बिहार में लगाई थी, कोई कल-कारखाना नार्थ बिहार में नहीं लगाया गया क्योंकि साफ्ट मिट्टी हर साल आने वाला सैलाब और तूफान कल-कारखानों को बहा कर ले जाएगा। दक्षिणी बिहार में कुदरती खजाइन और वसायल के इलावा डवलपमेंट की सारी राहें कुशादा की गई और जितने कल-कारखाने स्टील फैक्टरी से ले कर थर्मल पावर तक इन सब की स्थापना उसी इलाके में हुई। आज बिहारियों के ज़ेहन में जो सवाल अपने बच्चों के भविष्य का उठ रहा है, यह एक फितरी और नेचुरल सवाल है। जिस बिहार की तामीर-ओ-तरक्की के लिए उन्होंने 53 साल लगाए, आज उनका सारे का सारा खजाना, सारी दौलत, सम्पत्ति बिहार के हाथों से निकल रही है। हिन्दुस्तान में जो पानी बाहर से आता है कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नही हो पाया है। ऐसे ही नार्थ बिहार में गंगा की चोटी से पानी वाया नेपाल आता है और नदियों के तूफान के ज़रिये बिहार को तबाह करता है, उससे हमारी पार्लियामेंट और हमारा देश अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि 9 महीने तक तो पूरा बिहार जल-थल रहता है। लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं और हेलीकाप्टर के ज़रिये दरख्तों पर बैठे हुए लोगों को दरियाओं और नदियों से घिरे हुए लोगों को खाने के पैकेट

---

*Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

गिराए जाते हैं। इस वक्त बिहार पैकेट का नहीं पैकेज का मोहताज जरूर है और सेंट्रल हुकूमत की तरफ दुख भरे दिल-ओ-दिमाग से देख रहा है। लगभग चार हजार करोड़ रुपये जो बिहार का रेवेन्यु है इस पुनर्गठन या तकसीम के बाद यह सब का सब बिहार के हाथों से निकल जाएगा और बिहार के पास क्या रह जाएगा? क्या बिहार के लोग बालू का सत्तु बना कर गंगा के पानी से अपने खान-पान का इंतज़ाम करेंगे? नेपाल से बात कर के अगर पानी नहीं रोका गया, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिये पेकेज दे कर इनफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम नहीं किया गया तो हम समझते हैं जिस मकसद के लिए झारखंड बनाया जा रहा है अगर एक तरफ एक सूबा तामीर-ओ-तरक्की की राह पर लगेगा तो दूसरी तरफ दूसरा सूबा बिहार गरीबी और भुखमरी का शिकार होकर के रह जाएगा। इसलिए मैं हुकूमते हिन्द से गुज़ारिश करूंगा और होम मिनिस्टर साहब से खुसूसी तौर पर यह अपील करूंगा कि बिहार अस्सेंबली ने झारखंड को बनाने के लिए जो बिल आपके पास भेजा है इसमें सिर्फ सरकार ही शामिल नहीं है, अपोजीशन और हर पार्टी इस बिल को पास करने में अपने इत्तेहाद-ओ-इत्तेफाक का मुज़ाहिरा कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी उसमें शरीक है, बी.जे.पी. और समता भी उसमें शरीक है। हुकूमत की तरफ से यह बिल आया है। इसलिए मेरी गुज़ारिश होगी कि बिहार की हुकूमत ने अस्सेंबली ने एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये का जो पैकेज मांगा है, इसे देने के लिए आपको वचनबद्ध होना चाहिये। इसलिए कि एक सूबे के साथ प्यार और दूसरे सूबे के साथ सौतेला सुलूक यह रवा रखेंगे तो मैं यह समझता हूं कि पोलिटिकल फायदे उठाने के लिए इस तरह की तकसीम का रास्ता अपना कर मुल्क के सूबों का भला नहीं किया जा सकता है। सारे सूबों को एक आंख से देखते हुए उनका जो नुक्सान हो रहा है उसकी भरपाई करते हुए बिहार के लिए हुकूमत अपना एक मुक्कमल और मजबूत जवाब ले कर आए और बिहारियों की जो मांग है और अस्सेंबली ने जो पैकेज की डिमांड की है, वह पूरा का पूरा पैकेज बिहार को दिया जाए ताकि बिहार के लोग उस आर्थिक व्यवस्था के ज़रिए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। थैंक्यु, शुक्रिया।

श्री रंजन प्रसाद यादव (बिहार) : उपसभापति महोदया, संविधान की धारा 3 के अंतर्गत माननीय गृह मंत्री जी ने बिहार पुनर्गठन, 2000 के नाम पर बिहार के विभाजन का विधेयक इस सदन में पेश किया है। लोक सभा ने इस विधेयक को पास कर दिया है और महोदया, मैं समझता हूं कि यह सदन भी इस विधेयक को पास करने जा रहा है। लेकिन महोदया, इस संदर्भ में मैं कुछ मूलभूत प्रश्नों को सदन के समक्ष उठाना चाहता हूं और माननीय सदस्यों का ध्यान इन प्रश्नों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, आखिर हमारे उन पुरखों ने जिन्होंने आजादी के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया और संविधान में धारा 3 का प्रावधान किया, धारा 3 के प्रावधान के पीछे उनका मकसद क्या था? उन्होंने संविधान में इस धारा का प्रावधान इस मकसद से किया होगा कि पुनर्गठन के बाद बनने वाले राज्यों में शासन और प्रशासन बेहतर ढंग से चलेगा। पुनर्गठन के बाद बनने वाला राज्य अपने पहले के मुकाबले तेज गति से समृद्ध और विकास के रास्ते पर चलेगा। महोदया, मुझे लगता है और माननीय सदस्यों को भी यह लगता होगा

कि संविधान का निर्माण करने वाले हमारे पुरखों ने इसी नेक और पवित्र उद्देश्य से धारा 3 का प्रावधान संविधान में किया होगा महोदया, इस प्रस्ताव, बिहार पुनर्गठन विधेयक को हम लोग इस कसौटी पर परखें क्योंकि मैं मानता हूं कि सरकार ने जिस दिन इस विधेयक को पेश किया या हम लोग जो इसे पारित करने वाले हैं, पुनर्गठन के बाद बनने वाले नये राज्य की और तीव्र गति से विकास तथा समृद्धि की मंशा और उद्देश्य से ही इसे पारित करने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे पारित करने से पहले हम हर तरह से इसकी जांच कर लें अन्यथा कहीं हड़बड़ी में हमसे गलती न हो जाए और पुनर्गठन के बाद नया बनने वाला राज्य और तेज गति से विकास के रास्ते पर बढ़ने की बजाए कहीं विनाश के रास्ते पर न बढ़ जाए।

आपकी इजाजत से मैं सदन के समक्ष कुछ तथ्यों को रखना चाहूंगा। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 3 के तहत जो बिल लाए गए हैं और जो मैं समझ सका हूं कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नये राज्य के गठन का प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधान मंडल की राय जाने बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। इससे विधान मंडल की राय की प्रधानता स्पष्ट रूप से रेखांकित होती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान मामले में बिहार विधान मंडल ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर अपनी औपचारिक सहमति देते समय सभी दलों द्वारा जिसमें भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, समता और जेडी "यू" के लोग थे, सर्वसम्मति से स्वीकृत लगभग 1,79,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव विधान मंडल के अन्य सुझावों के साथ साथ सदन की स्वीकृति के बाद केन्द्र सरकार को भेजा गया था। अत: यह आवश्यक था कि विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के पूर्व केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज के संबंध में अपना दृष्टिकोण जाहिर करती जो कि आज के प्रस्ताव में नहीं है। मैं चूंकि बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं सदन को और माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अगर बिहार विभाजन नोटीफिकेशन के पूर्व इस बिल में आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव जो विधान मंडल में सर्वसम्मति से सभी दलों के लोगों ने रखा था, नहीं लाया गया तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी और खास करके जो हमारे बिहार के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उनको बिहार के भौगोलिक स्ट्रक्चर की निश्चित रूप से जानकारी होगी कि हमारे बिहार में जो लगभग 55 जिले हैं, उनमें से 18 जिलों को अलग करके हमने झारखंड राज्य बनाने का काम किया है और बाकी जो लगभग 37 जिले बचे हैं, जिनमें 21 जिले ऐसे हैं जो नॉर्थ बिहार और गंगा के उत्तर की ओर हैं। उन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय और खगड़िया हैं। 16 ऐसे जिले हैं जो मध्य बिहार में पड़ते हैं। वे जिले मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभुआ आदि हैं। अब मैं विस्तृत रूप से बचे हुए बिहार की भौगोलिक संरचना के विषय में बताना चाहूंगा। नेपाल से जो बड़ी-बड़ी नदियां निकलती हैं महानन्दा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, इन नदियों से लगभग 22 जिले प्रभावित होते हैं। नेपाल की नदियों से एक फुट से

लेकर चार फुट तक की ऊंचाई से जो पानी आता है इसका असर यह होता है कि प्रतिवर्ष जो वहां की खेती है, जो वहां की फसलें हैं, वे नष्ट हो जाती हैं और लाखों की संख्या में मकान व झोंपड़िया ढह जाती है और बह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यह बाढ़ दो, चार या दस साल से आती हो, बल्कि यह प्रतिवर्ष का रुटीन है। इसके कारण बिहार का लगभग 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है, जहां पर कि कुछ नहीं कर सकते। रोड, पुल, पुलिया बुरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। स्थिति यह होती है कि यह जो बाढ़ का पानी आता है, लगभग 6 महीने वह पानी खेतों में पड़ा रहता है और यह जो गंदा पानी के जल-जमाव के कारण खेती नहीं होती इसके कारण सालों भर लोग प्रभावित रहते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जिन बातों की चर्चा कर रहा हूं उनकी जानकारी आप निश्चित रूप से अपने द्वारा कराने का काम करेंगे। यही कारण है कि उत्तरी बिहार में फसल नहीं के बराबर होती है और उपरलिखित 22 जिलों के सभी जाति व धर्म के लोगों का रोजी-रोटी की तलाश में प्रदेश से बाहर पलायन हो जाता है। माननीय गृह मंत्री जी को निश्चित रूप से इसकी जानकारी होगी कि बिहार ऐसा प्रदेश है जिसके लोग न केवल देश के 32 प्रदेशों में हैं, बल्कि दूसरे देशों में भी हैं। इसका कारण भी यही है कि यहां के जिले बाढ़ के कारण प्रभावित रहते हैं और वहां मजदूर हैं, गरीब हैं, पिछड़े वर्ग, दलित और अकलियत के लोग हैं, जिनको रोज़ी-रोटी नहीं मिलती है। वे आज पंजाब और हरियाणा में जा कर, चूंकि वे मेहनतकश होते हैं, जैसा कि अभी हमारे माननीय अहलुवालिया जी ने हरियाणा की चर्चा की, तो हरियाणा का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है और बिहार का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, वह बिल्कुल भिन्न है। वहां प्रतिवर्ष किसी बड़े पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ों से निकलने वाली बड़ी-बड़ी नदियों की बाढ़ से बहने वाले पानी का जमाव नहीं होता। इसलिए अगर आप तुलना बिहार के बचे ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : पानी के लिए लड़ रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री रंजन प्रसाद यादव : पानी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार का जो स्ट्रक्चर है, खास करके नॉर्थ बिहार का, वह देश के 32 प्रदेशों का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उससे बिल्कुल भिन्न है। इसलिए पंजाब और हरियाणा की चर्चा तो हमारे कई मित्र किया करते हैं और आपने भी की है, लेकिन मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूं। दूसरी ओर मध्य बिहार और उत्तरी बिहार के बीचों बीच गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकल बनारस होते हुए बक्सर, आरा, पटना, बेगुसराय, मुंगेर, खगड़िया एवं भागलपुर होते हुए फरक्का जाती है। यह नदी ऊपर वर्णित जगहों को वर्षा के दिनों में बुरी तरह प्रभावित करती है जिस से जान-माल, धन-दौलत की अपार क्षति होती है। प्रति वर्ष गंगा नदी के कटाव के कारण दर्जनों गांव गंगा नदी के पेट में समाहित हो रहे हैं और उन गांवों को पुनर्वासित करने के लिए बिहार सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गंगा के कटाव को रोकना बिहार सरकार के बूते के बाहर की बात है क्योंकि बरसात में गंगा का जल-स्तर ऊंचा रहता है और इस का पानी निस्तारित न होने के फलस्वरूप काफी दिनों तक मध्य बिहार में जमा रहता है। इस कारण उस भू-भाग में खरीफ की खेती नहीं हो पाती। माननीय गृह मंत्री जी

व उपसभापति जी मैं चूंकि पटना विश्वविद्यायल में जियोलॉजी का शिक्षक हूं, वहां रीडर के पद पर हूं, इस कारण बिहार के विषय में अपने अल्प-ज्ञान के आधार पर बता सकता हूं कि नॉर्थ बिहार में जो 22 जिले हैं जहां प्रति वर्ष नेपाल से कई बड़ी-बड़ी नदियां आती हैं जिन के पानी की ऊंचाई एक फुट से 4 फुट तक होती है और उन के साथ प्रतिवर्ष वहां जो बालू आती है उस के कारण मिट्टी की क्षमता, उस की स्ट्रेंग्थ समाप्त हो चुकी है। वहां की मिट्टी बहुत सोफ्ट हो चुकी है जिस कारण हम हटिया, बोकारो की तरह वहां कोई बड़ा स्टील प्लांट नहीं लगा सकते, हम टाटा और टेल्को और टिस्को की तरह कोई बड़े उद्योग-धंधे नहीं लगा सकते। अगर ऐसा संभव होता तो हमारे बिहार के कांग्रेस के ललित बाबू से लेकर जगजीवन बाबू जैसे बड़े-बड़े नेता जिन की केन्द्र में चलती थी, वह जैसा चाहते थे वैसा करते थे, वे लोग उस कार्य को करा सकते थे। इस के अतिरिक्त देश के बड़े-बड़े टैक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट्स जिन्होंने कि वहां हर तरह से संरक्षण का काम किया था, उन्होंने भी कहा कि यहां की जमीन इतनी सॉफ्ट है कि यहां बड़े उद्योग-धंधे नहीं लगाए जा सकते। महोदया, हालांकि नेपाल से वहां बड़ी-बड़ी नदियां आती हैं और उन का पानी उपलब्ध है, लेकिन वहां कोई कैचमेंट एरिया नहीं होने के कारण किसी बड़े डैम का निर्माण कर पानी एकत्र कर पाना भी संभव नहीं हो पाता। इस कारण बिजली भी पैदा नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं वह इलाका फ्लड-प्रोन एरिया के साथ-साथ अर्थ-क्वेक प्रोन भी है। वहां प्रति वर्ष भूकम्प भी आते हैं जिस के कारण भी बड़े-बड़े उद्योग धंधे या एटोमिक आधारित कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि बिहार के 18 जिलों को अलग कर बिहार और वनांचल राज्य बनाने का जहां कार्य किया है, उस से वहां के लोग खुश नहीं हैं। पिछले दो दिनों से सदन में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्य की चर्चाएं हो रही हैं। लोग यहां दीपावली और होली मनाए जाने की चर्चा कर रहे थे। वहां की खुशहाली की बात कर रहे थे, लेकिन अहलुवालिया साहब, हमारे मित्र और भाई शत्रुघ्न जी, समता पार्टी के हमारे मित्र भाई राजीव रंजन जी, रविशंकर जी सहमत होंगे कि निश्चित रूप से जो इन दो प्रदेशों का बंटवारा हुआ और चर्चाएं हुईं उन से मुझ को भी खुशी हुई, सभी लोग आनंदित हुए, इस के लिए मंत्री जी आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन वह स्थिति बिहार की नहीं है। बिहार का जो बंटवारा होने जा रहा है और कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन लोग वहां ख़ुशियां नहीं मनाएंगे। वे गम मना रहे हैं।

इस के साथ-ही-साथ मैं संक्षेप में बिहार विधान मण्डल ने सर्व-सम्मति से जो पैकेज बिहार के लिए आप के पास भेजा है, उस की भी चर्चा करना चाहूंगा। 'कि वर्तमान समय में बिहार के राजस्व का वाणिज्यिक कर (कमर्शियल टैक्स) और अन्य करों का दक्षिण बिहार से 63 प्रतिशत आता है और केवल 37 प्रतिशत राजस्व उत्तरी बिहार और मध्य बिहार से आता है। बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 के मंजूर हो जाने के बाद 63 प्रतिशत राजस्व झारखंड क्षेत्र में चला जाएगा।' ...**(समय की घंटी)**...

बिहार जब एक था तो हमारा मानना है और जो मैं डाटा आपको दे रहा हूं उनसे आपको पता चलेगा कि पूरा बिहार जब एक था तो वाणिज्यिक कर से 2,274

करोड़, निबंधन से 339 करोड़, मद्य निषेध से 283 करोड़, यातायात से 203 करोड़, भूमि राजस्व से 15 करोड़ यानी कुल मिलाकर 3,114 करोड़ आता था। अब इसमें से झारखंड एक नया राज्य बनने जा रहा है, उसमें लगभग 1,132 करोड़ चला जाएगा और बिहार को 1,982 करोड़ ही मिलेगा।

दूसरा नॉन टैक्स के रूप में अभी इस समय बिहार को टोटल 824 करोड़ रुपया मिलता था और यह साउथ बिहार में कोयला, ऑयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइम स्टोन, माइका इन चीजों से आता था, इनमें से झारखंड को लगभग 776 करोड़ चला जाएगा और बचे हुए बिहार के लिए मात्र 48 करोड़ ही बचेगा। केन्द्रीय कर के हिस्से के रूप में अब तक बिहार को 3,938 करोड़ मिलता था, उसमें से झारखंड को 1,908 करोड़ चला जाएगा और बिहार को लगभग 2,030 करोड़ ही मिलेगा।

इस प्रकार ऊपर वर्णित राजस्व स्रोतों के चार्ट से स्पष्ट है कि बिहार विभाजन से बचे हुए बिहार को राजस्व के रूप में लगभग 3,808 करोड़ रुपए की हानि होगी और झारखंड राज्य को कर के रूप में 3,808 करोड़ रुपए की आय होगी। आय का मुख्य स्रोत वाणिज्य कर एवं खान हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा झारखंड राज्य को प्राप्त होगा क्योंकि करीब-करीब सभी खानें झारखंड राज्य में स्थित हैं और बड़े-बड़े उद्योग जैसे टिस्को, टेल्को, हटिया, बोकारो, उषा मार्टिन आदि झारखंड राज्य में पड़ते हैं।

ऐसी स्थिति में हम आपसे मांग करना चाहते हैं कि सदन में विधेयक पर विचार-विमर्श के दौरान केन्द्र सरकार राज्य को बिहार विधान मंडल द्वारा अनुशंसित लगभग 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करे और साथ ही झारखंड राज्य के गठन के संबंध में भी जो आर्थिक पैकेज मांगा गया है, उसकी भी घोषणा करे।

बिहार सरकार समय-समय पर उत्तर एवं मध्य बिहार के कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए तथा अन्य बुनियादी संरचना के सुधार के लिए केन्द्र सरकार को अपने प्रस्ताव भेजती रही है, उन प्रस्तावों के संबंध में न केवल सकारात्म रुख अपनाना चाहिए बल्कि उन्हें कार्यरूप देने के लिए केन्द्र को प्रभावी पहल करनी चाहिए।

उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका प्रायः हर साल बाढ़ एवं जल-जमाव से प्रभावित रहता है और वहां की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ के प्रकोप से उत्तर बिहार की रक्षा के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की सरकारों से अविलम्ब वार्ता चलाकर ठोस कार्य योजना बनाई जानी चाहिए ताकि इन इलाकों को बाढ़ की विनाश-लीला से बचाया जा सके। ...**(समय की घंटी)**...

अंत में माननीय गृह मंत्री जी और सदन के माननीय सदस्यों से हम बड़ी विनम्रता और नम्रतापूर्वक अपील करना चाहेंगे, हमारी प्रार्थना होगी कि बिहार सरकार पर केन्द्र सरकार का लगभग 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिस पर बिहार सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 2,000 करोड़ रुपया केवल सूद के रूप में देना पड़ता है। अतः हमारी

मांग है कि बिहार को आर्थिक पैकेज देने की शुरुआत आप केन्द्रीय ऋण को माफ करने के साथ करें। मुझे आशा है कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि जो विभाजन अभी तक किए गए हैं, निश्चित रूप से उसके पीछे हमारे पूर्वजों और पुरखों का उद्देश्य शासन और प्रशासन को अच्छा बनाना और उस क्षेत्र का विकास करना ही रहा है। आज बिहार की आबादी 10 करोड़ के करीब है और इसमें से 2 करोड़ के लगभग झारखंड में चली जाएगी और जो बचा हुआ बिहार है, निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी भी हम से सहमत होंगे कि उस बचे हुए बिहार का भौगालिक स्ट्रक्चर और राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए आपको उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : महोदया, आज इस सदन में बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 पर चर्चा हो रही है। सदन के माननीय सदस्यों ने विस्तार से इसके बारे में अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। महोदया, यह विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद इस सदन में आया है और इस सदन में भी दो मुख्य बड़े दलों ने इसका समर्थन किया है। महोदया, मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं पूरे तरीके से इस विधेयक के खिलाफ हूं लेकिन पड़ोसी राज्य में रहने के नाते मुझे बिहार के बारे में जो कुछ जानने का मौका मिला है, उस नाते मैं अपनी भावना जरूर आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं।

महोदया, हिंदुस्तान के नक्शे में आज़ादी से लेकर अब तक जहां बिहार पिछड़ों की गिनती में सबसे पिछली कतार में खड़ा हुआ था, जहां बिहार सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश कहा जाता था, ऐसे समय में झारखंड उससे अलग हो रहा है। वैसे झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज संपदा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता रहा है। आज जो झारखंड का ऐरिया है, जो खनिज संपदा का क्षेत्र है, उसके अलग होने के बाद बिहार की स्थिति क्या होगी?

महोदया, अहलुवालिया साहब ने ठीक कहा है कि बिहार महापुरुषों का जन्म-स्थान रहा है, कर्म-स्थान रहा है, जिसका पाठ पढ़कर हम विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाते आए हैं, इसके सिवाय अब बिहार में कुछ नहीं बचा है। महोदया, झारखंड राज्य की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है और झारखंड ऐरिया के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, समाज के अग्रणी नेता थे। आज़ादी के पहले भी ये लोग अलग झारखंड की बात करते रहे हैं। महोदया, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि आज झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में क्या बचेगा? वहां 4 महीने उत्तर बिहार और मध्य बिहार में बाढ़ की विभीषिका के कारण तबाही होती है और कभी वह सूखे की चपेट में आ जाता है। इसलिए हमें उसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बिहार के पिछड़ेपन को सारे देश के लोग जानते हैं। आप इस देश के किसी भी महानगर में चले जाइए, निश्चित रूप से बिहार का आदमी आपको वहां जरूर मिल जाएगा। दिल्ली में वह किसी पूंजीपति के रूप में आपको नहीं मिलेगा बल्कि एक रिक्शा चालक या ऑटो चालक के रूप में मिलेगा। अहलुवालिया साहब ने कहा कि विदेशों में भी यहां का आदमी मिलता है। आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों में

जहां किसी दूसरे प्रदेश का आदमी पूंजीपति के रूप में मिलेगा, वहीं आपको बिहार का आदमी दुकान पर नौकर के रूप में मिलेगा। खाड़ी के देशों में जहां आपको दूसरे प्रदेश का आदमी एक बिजनेसमैन के रूप में मिलेगा, वहीं बिहार का आदमी आपको उस बिजनेसमैन के घर पानी पिलाने वाले के रूप में मिलेगा।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इंग्लैंड में जो डॉक्टर्स हैं, वहां सबसे ज्यादा संख्या बिहार के डॉक्टरों की है। ऐसा मत कहिए कि नौकर बिहार का है।

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, वहां बहुत गरीबी और बेरोजगारी है। मैं वहां की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के बारे में जानता हूं और वहां की समस्याओं के बारे में जानता हूं। अभी रंजन प्रसाद यादव जी ने जो बात कही है बिहार को आर्थिक पैकेज देने की, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि झारखंड राज्य बनाने के पीछे जो जन-भावना है, उसका आदर करना चाहिए और यह तभी होगा जब उस समाज के लोग आने वाले दिनों में उस प्रदेश के मुखिया होंगे। इसलिए झारखंड इलाके के जो आदिवासी नेता हैं उन्हीं में से उनको मुखिया व प्रशासनिक अधिकार दे करके उनके मान-सम्मान को बढ़ाने का काम किया जाएगा और झारखंड के लोगों के सम्मान को निश्चित रूप से सामने रखने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बाढ़ की विभीषिका की चर्चा हुई है निश्चित रूप से चार महीने सूखा, चार महीने बाढ़ के पानी से उत्तर बिहार और मध्य बिहार के लोग तबाह होते हैं। इसको रोकने के लिए हमको बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी होगी। अभी आप कह रहे थे कि नेपाल से जो नदियां आती हैं जो खतरनाक नदियां हैं और बिहार में या दूसरे प्रदेशों से आकर बहती हैं तो उसमें मेरा सुझाव है कि अगर उस पानी को रोककर जिसकी सम्भावना इस देश में है, आने वाले बहुत दिनों तक ताप से बिजली पैदा की जाए। यह सम्भावना बहुत दिनों तक नहीं रहनी जाएगी। इस नाते जो हाइड्रोलिक पॉवर प्रोजेक्ट है, पानी से बिजली पैदा करने का जो तरीका है उस तरीके से डेम बना करके निश्चित रूप से पानी से आज भी रोशनी का काम करलें और उसको रोक करके सिंचाई का काम लें, इससे वहां बिजली पैदा करके बिहार को खुशहाल करने में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। तमाम सारी समस्याएं हैं। उपसभापति महोदया, बिहार में झारखंड राज्य बनने जा रहा है। वहां की जनभावनाओं को देखते हुए जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो फैक्टरीज हैं। इन तमाम के झारखंड में जाने के बाद बिहार में कुछ नहीं बचता। इसलिए बाकी बचे बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे दौड़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बिना किसी द्वेष की भावना से बिहार को आर्थिक पैकेज दे करके इसको सम्पन्न बनाए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद प्रगट करता हूं।

DR. A.R. KIDWAI (Delhi): Madam Deputy Chairperson, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the subject. When a family gets divided, it is not a happy occasion. The same thing happens when a State gets divided into two parts. That is also

not a happy occasion. Whatever may be the reasons for the division, now we must take a decision to help both of them to develop and utilise their resources to their best advantage so that they become self-reliant, self-sufficient and bring prosperity to the people. This is possible, in spite of the present state of affairs because the Chota Nagpur area - south Bihar - which is going to become Jharkhand, is rich in minerals and has been earning a lot of revenue in the form of royalty. But it has not developed. In other parts of the world, the rich in coal, iron and other mineral areas are also centres for the development of mechanical engineering industries. This has not happened in Bihar. This State was exploited only a producer of minerals and metals, but no mechanical engineering and manufacturing industries were developed in the area. That is why there is lack of employment opportunities and lack of development in the area. No State can develop without proper industrialisation and utilisation of its resources. Though Chota Nagpur, today, accounts for more than 50 per cent of the total mineral production of India, still, except earning revenue for the country, it is lagging behind in development and utilisation of its natural resources.

North Bihar, which represents the most fertile area of the country, and the best agro-climatic condition, has not been able to utilize its full agricultural potential because of floods. The problem of floods is not confined to Bihar only, but this problem extends to the entire Gangetic Plain. When Farakkha Barrage was constructed, no arrangements were made for desilting of the Ganges and its Tributaries. The result is that the silting of the Ganges, silting of the rivers has increased the spread of water throughout the State. Thus for about four to six months in a year there is extensive water logging and the land cannot be cultivated.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) in the Chair]

There is scope. There are agricultural States like Punjab, Haryana and UP, which have developed. Bihar can also develop agriculturally and even better than any of these States because of its rich soil and agro-climatic condition. But if this is to be achieved, a new planning programme has to be undertaken. With small land area that is available, more intensive agriculture has to be undertaken, so that it

brings them more remunerative crops, rather than to continue to produce only the cheap foodgrains. So, the agricultural pattern has to be changed in order to utilize the best available agro-climatic condition for increasing its agricultural and horticultural output. In fact, Bihar is a State that can produce high quality vegetables and fruits to feed the entire country and export to the Middle-East, and it can also Europe. This requires a serious effort and planning. I am sure, Bihar can utilize its potential for its development, as it did in the past. Sir, during the 5th century BC, 1000 AD Bihar was a centre of India's cultural heritage. The Lichhavi regime was the first democratic republic of the world; early education of Bhagwan Mahavira and Bhagwan Buddha, development of mathematics, astronomy, astrology, ayurvedic science; all these things took place in Bihar because of its fertile land and high productivity in agriculture. Ashoka and Chandragupta Maurya, who ruled up to the Central Asia, had a large army because of the fertile land of Bihar. So, the agro-climatic condition of Bihar is such that it can make up the deficiency, and it can improve and do better. This requires a special planning in development. Till Bihar is able to make up, it needs financial assistance. Therefore, the Central Government, while dividing the State into two parts, that is, Jharkhand and Bihar, has taken a serious responsibility on itself to develop both the States and to help them to recover from deficiency from which they may be suffering. This requires the setting up of a special planning board for Jharkhand, and one another board for Bihar so that, taking advantage of their resources and facilities, they could be better planned and developed, and could become self-sufficient and be an asset to the country. If adequate financial assistance, to manage its affairs, its administration, to improve its economy so that it becomes self-sufficient, is not provided to Bihar, this will lead to serious consequences. Therefore, I would say that the Central Government should take note of this fact that by passing this Bill, by dividing the State into two parts, it is undertaking a serious responsibility of developing both these State. It will have to provide technological plans for development and providing financial assistance so that they could perform well and bring prosperity to the country.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कल 10 अगस्त को जब

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल पर चर्चा चल रही थी, उस चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री श्री आडवाणी जी ने कहा कि राज्यों का गठन हो जाना एक ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और लोगों के लिए बहुत ही आनंद का विषय है। यकीनन यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है क्योंकि वर्षों से लोगों की तपस्या, संघर्ष, लोगों की परंपराओं, आकांक्षाओं, कामनाओं और कुछ हद तक राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है इसलिए राज्यों का निर्माण होना एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे लोगों के सपने साकार होते हैं। महोदय, इससे बहुत से लोग आनंदविभोर हुए हैं। मुझे खबर है किस तरह से छत्तीसगढ़ में या किस तरह से उत्तरांचल में लोगों ने खुशियां मनाईं और अब झारखंड के लोग खुशियां मना रहे हैं। रांची से, जमशेदपुर से, हजारीबाग से खबरें आई हैं कि वहां लोग दीवाली मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं तो यह निश्चय ही खुशी की बात है लेकिन सरकार की नज़रों में सब समान है। मैं कोई इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं, इस बिल का पारित होना तो वास्तविकता है, पूरे सदन का बहुमत और समर्थन इसको प्राप्त है इसलिए इस बिल का पारित होना अवश्यम्भावी है, निश्चित है, सत्य है लेकिन इस सत्य के साथ-साथ, इस खुशी के साथ-साथ कुछ दर्द का भी अहसास कराना ज़रूरी है। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं, जैसे एक तरफ जहां खुशियां मनाई जा रही हैं झारखंड में वहीं दूसरी तरफ बिहार, विशेषकर मध्य बिहार और उत्तरी बिहार बाढ़ के प्रकोप में जकड़ा हुआ है। मौत का तांडव वहां हो रहा है, मनुष्य मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, लोग बरबाद हो रहे हैं, फसलें बरबाद हो रही हैं, बांध टूट रहे हैं, तटबांध टूट रहे हैं और हर साल इनकी मरम्मत पर, इनके डैमेजेज़ पर, कम्पनसेशन देने में सरकार का करीब एक हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता है। यह भी सही है कि देश में जो बाढ़ आती है उसका चालीस प्रतिशत कुप्रभाव बिहार में विशेषकर मध्य बिहार और उत्तरी बिहार पर पड़ता है। नेपाल से भी पानी आता है, और भी कई कारण हैं लेकिन एक कारण यह भी है कि इतने सालों से सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर जो वह कर सकती थी, उसने नहीं किया। भिन्न-भिन्न सरकारें आती रहीं और जान-माल का नुकसान होता रहा। जहां बाढ़ आती है ऐसे क्षेत्रों का ख्याल नहीं रखा गया और समस्या के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोशिश नहीं की गई। इसलिए आज आजादी के करीब-करीब 53-54 साल बाद भी लोग बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। यहां झारखंड नाम के नए राज्य का निर्माण हो रहा है। करीब-करीब 46 प्रतिशत जमीन झारखंड के हिस्से में आएगी और 54 प्रतिशत जमीन करीब-करीब ट्रन्केटिड बिहार के हिस्से में रहेगी। झारखंड के हिस्से में दो करोड़ दस लाख लोग आएंगे, 81 विधायक होंगे और 14 सांसद होंगे और बिहार के हिस्से में 243 विधायक होंगे, 40 सांसद और 6 करोड़ 50 लाख की आबादी होगी। यह बिहार और झारखंड में अंतर है क्योंकि झारखंड स्पार्सली पॉपुलेटिड है, जगह बहुत ज्यादा है इसीलिए इतना अंतर है। अब जब बिहार और झारखंड अलग हो रहे हैं, झारखंड का निर्माण हो रहा है तो किसी भी प्रदेश में आबादी के आधार पर एसेट्स और लाइबिलिटी का फैसला होता है। आज के दिन तक बिहार के पास 20 हजार करोड़ से ऊपर के एसेट्स हैं और लाइबिलिटी है करीब 31 हजार करोड़ रुपए की। इसका जिक्र हमारे भाई, हमारे मित्र, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता होनहार, गुणवान रंजन प्रसाद

यादव कर रहे थे कि दो हजार करोड़ रुपए सूद चुकाने में खर्च होता है। बिहार की बदहाली का एक मुख्य कारण आर्थिक भी है। इसलिए पुलिस वाले भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं, होम गार्ड भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। "गरीब की जोरू सबकी भाभी" वाली बात यहां है। यह गरीब प्रदेश है और पैसा बहुत कम है और मुसीबतें काफी हैं। अब जब झारखंड स्टेट बन जाएगा तो 20 हजार करोड़ एसेट्स, करीब-करीब 31 हजार करोड़ की लाइबिलिटी और 30 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा, यानि कि बिहार जो ट्रन्केटिड है उसके पास 45 हजार करोड़ रुपए का घाटा रहेगा तो यह कहां से आएगा? अभी भी यह हालत है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इतनी कंगाली है। जब 45 हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा, बिहार के पास मैचिंग ग्रान्ट्स देने के लिए पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। फिर बिहार अंधेरे के गर्त में आ जाएगा, बिहार अंधेरे में, लालटेन के युग में आ जाएगा। 500 करोड़ रुपए का घाटा, पावर टैरिफ का तो होगा ही क्योंकि जितने पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं चाहे तेनुघाट हो, स्वर्ण रेखा हो। ...**(व्यवधान)**... मैं लालटेन पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लालटेन युग का जिक्र कर रहा हूं।

श्री रंजन प्रसाद यादव : बिहार वाले, बिहार की चिंता कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : पतरातु, स्वर्ण रेखा और तेनुघाट ये भी वनांचल में हैं। हमारे मित्र अहलुवालिया जी के क्षेत्र बेगुसराय को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में पावर नाम की कोई चीज नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR):You are losing your time.

श्री रामदेव भंडारी : सर, बिहार के बारे में बोल रहे हैं, ...**(व्यवधान)**...

श्री राजू परमार (गुजरात): भाई साहब कम बोलते हैं उनको बोलने दीजिए ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please don't interrupt him.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : जब बिहार का जिक्र हो रहा है तो मैं जानता हूं कि सबको स्वाभाविक रूप से चिंता है। महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी कोई बात नहीं दोहराना चाहता हूं जो रिप्रेंटेटिव हो। कुछ-कुछ दर्द को उजागर करना चाहता हूं, कड़वी सच्चाई को सामने लाना चाहता हूं। सारी पावर जनरेटिंग यूनिट्स वनांचल में हैं, सारी इंडस्ट्री वनांचल में हैं, चाहे एचईसी हो, टेल्को हो, टिसको हो, या फिर ऊषा मार्टिन - सारे मिनरल सैल्स, जिनका जिक्र हमारे मित्र ने किया, वनांचल में हैं। मेजोरिटी रिवेन्यजू जो बिहार में आते हैं वे अठारह जिलों से आते रहे हैं जैसे एक्साइज, कमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्ट, रजिस्ट्रेशन आदि। अब क्या होगा? जब मैंने कहा कि बिहार अंधेरे की गर्त में चला जाएगा, ऊपर से पांच सौ करोड़ बिहार को और देना पड़ेगा, पावर

टैरिफ का घाटा होगा क्योंकि सारे पावर जेनरेटिंग यूनिट्स वनांचल में हैं, यह कड़वी सच्चाई है। यह सत्य है कि उसका पुनर्गठन हो रहा है, नये राज्य का निर्माण हो रहा है और आज हो भी जाएगा लेकिन कुछ बातों को समझना जरूरी है कि क्या करेंगे बिहार में? बिहार के मेरे मित्र राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में सिर्फ बालू, बाढ़ और सुखाढ़ होगा। उन्होंने कहा कि बालू होगा, बिहार में बाढ़ होगी : वह तो होती ही रही है, सूखा पड़ेगा। हम इसके बहुत शिकार होते हैं। मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत न भी होऊं तो भी यह आलम तो जरूर है बिहार में कि वहां बेरोजगारी होगी, भय होगा, भूख होगी, भ्रष्टाचार होगा। क्या करें? वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कैश इंडस्ट्री नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि बिहार बर्बाद हो जाएगा। मैं मानता हूं कि बिहार मेरी कमजोरी है, मेरी शक्ति है लेकिन बिहार में बहुत जान है। बिहार में नदियां हैं, जंगल हैं, धान की खेती बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ जमीन है, मिर्च है, मसाले हैं, गन्ना है लेकिन गन्ने की फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं। शुगर मिल्स बंद हो चुकी हैं, ताला लग चुका है। सरकार ने रिवाइव करने की कोशिश नहीं की। हमारे लोगों में बहुत प्रतिभा है, बहुत जान है जिसका जिक्र अहलुवालिया जी तथा बी.एस.पी. के मित्र ने भी किया। आपको खुशी होगी यह जानकर कि आज भी देश की प्रशासनिक सेवाओं आई.ए.एस., आई.पी.एस., फोरेन सर्विस, कस्टम सर्विसस तथा एलाइड सर्विसस में पच्चीस प्रतिशत से अधिक लोग बिहार से आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लोगों में बहुत जान है लेकिन हमें मौका दीजिए बिहार को बचाने का, बिहार को बसाने का और बिहार को बनाने का। बिहार को बचाने के लिए आज आर्थिक पैकेज की सख्त जरूरत है, कैश इंडस्ट्री की सख्त जरूरत है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please conclude.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : उपसभापति महोदय, मैं कम बोलता हूं और आप जानते हैं कि जब बोलता हूं तो दमदार बोलता हूं। जब बाकियों को समय दिया तो मुझे भी समय दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Kindly conclude.

श्री रामदेव भंडारी : अच्छा बोल रहे हैं।

श्री रंजन प्रसाद यादव : अच्छी बात बोल रहे हैं उन्हें बोलने दिया जाए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : यह पुनर्गठन राज्यों का ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): I will decide. I have got the constraint of time.

श्री रंजन प्रसाद यादव : बिहार का सब्जेक्ट है इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के सांसद को बोलने दिया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): The Business Advisory Committee has allotted certain time. We will have to confine to that. I have no choice.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : मैं अभी कंक्लुड करता हूं, मैं अभी खत्म करता हूं। नये राज्यों का गठन करके, जगह जगह पर पंडोरा बाक्स जो खुल रहा है इसके बारे में सोचने की जरूरत है। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के नाम पर झारखंड स्टेट बना है तो आदिवासियों का विकास तो होना ही चाहिए, दलितों, पिछड़ों, बैकवर्ड, गरीबों को मुख्य धारा में लाना ही चाहिए, उनका विकास होना ही चाहिए। लेकिन झारखंड में उनका बहुमत नहीं है। वहां पर 70 प्रतिशत से ज्यादा नान-आदिवासी हैं। यह कहना कि बिहार के आदिवासियों के अपलिफ्टमेंट के लिए यह बना है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सिक्स्थ, सेंवथ और एट्थ फाइव इयर प्लान में ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के नाम पर डबल अमाउंट खर्च हुआ बनिस्बत बाकी बिहार के। फिर भी क्या हुआ?

महोदय, यह जो बिल है पूरा सदन इसका समर्थन करता है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ यह कहना चाहूंगा कि सख्त जरूरत है बिहार को बचाने की, बिहार को बनाने की और बिहार को गौरवमय बनाने की। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Kindly confine yourself to the time constraint.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, I am for viability in the functioning of the States. The other day, with reference to the Chhattisgarh Bill, I said that the newly constituted State would be unviable. But, here this State, which is to be constituted is rich enough, whereas the North Bihar and the Central Bihar are unviable. That is why the demand has been made both in the Bihar Assembly as well as here by all the Members to give a financial package of Rs.1.70,000 crores for the rehabilitation of their projects in Bihar State. They have given this calculation here. The Jharkhand is consisting of 18 mineral rich districts and all the big industrial wealth, power projects have also gone to Jharkhand. Rest of Bihar is left with calamity of floods and droughts. The loss of enormous wealth is calculated at Rs.850 crores. It is also said that every year the water logging in North Bihar is on 10 lakh hectares of land. Thermal and hydro-electric projects are also there. In the rest of Bihar there are 18 sugar mills. Out of these, 15 are sick and the rest are closed. That is why they want a total package of Rs.1.70,000 crores for the modernisation of the sugar mills, sick industries and the fertiliser

industries etc. Therefore, I appeal to the Government to accept the request for the financial package. Otherwise this State will not survive.

So far as Jharkhand is concerned, a Tribal Advisory Council has to be constituted. It is said that for centuries the tribals or the Adivasis, though they are industrious, are forced to perform the dangerous manual work at the minimum possible wages. Their physical strength is mercilessly exploited. The tribals are living in poverty, misery and servitude. They have to be emancipated from that position. Necessary steps towards that end have to be taken. Now, I come to certain provisions in this Bill. Section 77 provides for Public Service Commission. The entire section reads as though it is for a separate Public Service Commission for Jharkhand. I would like to have some clarifications from the Government whether it is a typographical error or it is a correct one. Clause 77 of the Bill says, "The Public Service Commission for the existing State of Bihar shall, on and from the appointed day, be the Public Service Commission for the State of Bihar." I would like to know whether it is for the proposed State of Jharkhand or for the State of Bihar or whether it contemplates only one Public Service Commission for both the States. The point may be clarified there.

Clause 78 deals with water resources development and its management. Ganga and Sone rivers pass through two States. It has also been mentioned in clause 79 that an agreement on water should be entered into between the States of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and Madhya Pradesh. It further says that there will be a permanent Water Management Board headed by a Chairman and having representatives from all the States. In the whole of India we are having river water disputes. For example, there is a dispute between Tamil Nadu and Karnataka with regard to the Cauvery waters. It is high time that this dispute is sorted out. In this Bill, it has been said that in respect of these four States, they should enter into an agreement on water management. I request the Minister to note down this point and pass it on to the Minister concerned so that it can be considered. Otherwise, what is the point in raising this issue? The problem of sharing river waters is there throughout the

country. Day-in and day-out, there is a dispute between States. Therefore, while constituting the Water Management Board, this should be taken care of and a permanent solution should be found. What is the ratio of water distribution between the States? I urge upon this Government to nationalise all the rivers. This can be thought of.

While drafting this Bill, certain Acts have not been taken into consideration. This Bill has been ill-drafted. There is no provision for the appointment of a Governor. I am not in favour of appointing a Governor. As I have already stated, for three or four States, there should be one Governor. In this Bill, there is no provision for the appointment of a Governor. I welcome it. I would like to know whether a separate Governor will be appointed for the new State or the Governor of Bihar will administer this new State also. If the Governor of Bihar has to administer this new State also, then, I welcome it.

I would like to draw your attention to clause 28 (3). The Advocates Act has not been properly considered. This Bill has been wrongly drafted. Clause 28 (3) says, "The person other than the advocates who are entitled immediately before the appointed day, to practise in the High Court at Patna or any subordinate court thereof shall, on and after the appointed day, be recognised as such persons entitled also to practise in the High Court of Jharkhand or any subordinate court thereof, as the case may be." In Clause 90, the same mistake has been committed. This clause says, "Any person who, immediately before the appointed day, is enrolled as a pleader entitled to practise in any subordinate courts in the existing State of Bihar shall, for a period of one year from that day, continue to be entitled to practise in those courts, notwithstanding that the whole or any part of the territories within the jurisdiction of those courts has been transferred to the State of Jharkhand." Mr. Vice-Chairman, Sir, you are also a lawyer. I hope you will appreciate this point. The Advocates Act had been passed in 1961. There is no bar on any lawyer to practise anywhere in India, including the Supreme Court. Once he is enrolled in any Bar Council, he has got a right to practise anywhere in India, in any High Court. But these two provisions can be taken into consideration while framing the rules. This thing has

been lost sight of, or in ignorance of the Advocates Act, perhaps, these provisions have been incorporated. So...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Kindly conclude.

SHRI R. MARGABANDU: I request this august House and the Government also to accept the financial package. The other day, I was asking for a financial package for the tribal areas. But here, I am asking for a financial package of Rs.1,70,000 crores for Bihar to rehabilitate it. Once I had been to Patna. I was aghast to see that only the main roads were well maintained. Once you go into the cross roads, it is worse than a village. Even in the city of Patna, it is worse than a village. Such is the worst condition of the streets there. That is the position. It is rightly said by the hon. Member who spoke earlier that the State is struggling even to pay the salaries of its employees. That is the condition. The entire income of the nation is being eaten away by the 10 per cent salaried persons, on account of the Fifth Pay Commission's recommendations. This Government should reconsider the Fifth Pay Commission's recommendations and see that the majority of the financial resources goes to the unorganised sectors and farmers who are living in the rural areas. Their livelihood should be updated and they will have to be emancipated from the position of poor status. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : श्री नागेन्द्र नाथ ओझा, आपके लिए भी सिर्फ चार मिनट हैं। कृपया आगे न बढ़ें।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : आपका नाम है। मैं कैसे भूल सकता हूं। प्लीज कंटीन्यू।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : और साथ में बिहार की असेम्बली ने झारखंड राज्य की स्थापना का फैसला लेते हुए शेष बिहार के लिए जो पैकेज की मांग की है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं मांग करता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि वे उस पर गौर करें। मैं समझता हूं कि वह वाजिब मांग है। उसमें कोई राजनीति नहीं है। सभी पार्टियों द्वारा वह समर्थित है।

एक बात की ओर मैं और संकेत करना चाहूंगा कि बिहार असेम्बली की मांग यह नहीं है कि कल आप 1,79,000 करोड़ रुपया उन्हें दे दीजिए। उनके प्रस्ताव में कहा

गया है कि 10 से 15 वर्षों के बीच एक पैकेज के अधीन यह राशि बिहार को दी जाए। इसका अर्थ हुआ तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन यह राशि मुहैया की जाए जो अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष, साल प्रति साल में 5 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं जाती है। एक पंचवर्षीय योजना के अंदर 60 हजार करोड़ हो। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर उद्देश्य यह है किसी राज्य के बंटवारे का कि इससे विकास हो - आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हो तो मैं समझता हूं कि इस पर जरूर यह सरकार गौर करेगी कि शेष बिहार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से और पिछड़ा राज्य नहीं बने। अगर यह बात उनके दिमाग में है तो बिहार असेम्बली द्वारा भेजा जो यह प्रस्ताव है वे उस पर गौर करेंगे और उसको मंजूर करेंगे तथा तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन इतनी राशि वे देना मंजूर करेंगे।

कल मैं सुन रहा था उत्तराखंड राज्य की स्थापना को लेकर जो बोल रहे थे तो बता रहे थे कि उत्तराखंड ऐसा हिस्सा है जहां कभी किसी काल में मन्त्र और वेद लिखे जा रहे थे। लेकिन मैं झारखंड के हिस्से के बारे में कहना चाहूंगा कि जब उत्तराखंड के इलाके में वेद रचा जा रहा होगा, उसके मंत्र लिखे जा रहे होंगे तो ठीक उसी काल में झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत जिनका डामीनेशन होगा - पौराणिक दृष्टि से देखें तो वह असुर जाति कहलाती थी जो लोहा गलाने का काम करती थीं और जब मिट्टी के पात्र में भोजन इधर के देव लोग करते थे जो मंत्र लिख रहे थे तो यह असुर जाति धातु के पात्रों में जल पी रही थी। और यह बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारे भा.ज.पा. के नेताओं ने वनांचल पर कोई जिद नहीं की, झारखंड को स्वीकार कर लिया। किसी पुराण में इसकी चर्चा है :

"अयस्क पात्रे पयपानम, शाल पात्रे च भोजनम,
खजुरी पत्रे च शयनम, झारखंड इति विधि वते।"

इतना प्राचीन नाम झारखंड का और उसे आपने स्वीकार कर लिया, वनांचल और झारखंड के विवाद में यह मामला रुका नहीं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, यह सही है कि सभी राजनीतिक दलों की इस पर सहमति थी, लेकिन यह मूवमेंट 1928 से शुरू हुआ, इसकी मांग 1928 से शुरू हुई, जब साइमन कमीशन हिन्दुस्तान में आया। झारखंड क्षेत्र में उस समय के पढ़े-लिखे क्रिश्चियन भाइयों ने जो आदिवासी मूलत: थे, उनके छात्रों ने आदिवासी उन्नति समाज की स्थापना की थी। आदिवासी उन्नति समाज की तरफ से 1928 में सैपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की थी। आगे निरंतर यह मांग होती रही और अभी इस मांग को पूरी होते हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच 1928 से लेकर 1991-92 तक कितने लोग शहीद हुए हैं, उन्हें हम अभी याद नहीं कर रहे हैं। इस बहस में भाग लेते हुए मैं झारखंड राज्य की स्थापना के लिए जान देने वालों, शहीद होने वालों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

(उपसभापति पीठासीन हुईं)

आज भी उस इलाके में आदिवासी इस आंदोलन के शहीद निर्मल महतो जी, बृहस्पति महतो जी, कालीपदो बास्को और एंथनी मुर्मू का नाम ले रहे हैं और इनके नाम पर लोक गीत भी चल रहे हैं। आज उनको कोई याद नहीं कर रहा है और अपने-अपने ऊपर सेहरा

लेने की एक होड़ सी मची हुई है। जहां तक बिहार असेंबली की, बिहार के राजनीतिक दलों की स्थिति है, कभी भी इस मांग का विरोध बिहार की जनता ने नहीं किया है, चाहे वे इस भाग के हों, चाहे उस भाग के हों, 1977 में ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : ओझा जी, मैं आपको निवेदन करूंगी कि कृपया आप समाप्त करें, क्योंकि आपका टाइम पूरा भी हो गया और दूसरों को भी बोलना है।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : मुझको दो मिनट समय और दें।

उपसभापति : नहीं, आपके चार ही मिनट थे। आप 6 मिनट बोल लिए हैं। मेरे बगैर कहे आपने 2 मिनट ज्यादा पहले ही ले लिए हैं। मतलब उनके बगैर कहे। आई एम सॉरी, इस तरह से अगर ...**(व्यवधान)**...

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : मैं दो मुद्दे और रखना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : ओझा जी, आई एम सॉरी, यह आपके लिए ही नहीं, पूरे हाउस के लिए है। समय की कमी है। बहुत से लोग बोलने वाले हैं। मुझे कोई एतराज नहीं कि आप लोग सारी रात बैठ कर करें, मगर प्राइवेट मैंबर्स बिज़नैस भी आप ही लोगों की है। उससे पहले खत्म करना है।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : महोदया, मैं एक-दो मिनट में बोल दूंगा।

उपसभापति : नहीं, एक-दो मिनट नहीं हैं। अगर होते तो मैं जरूर दे देती। नैक्स्ट बिल पर कभी भी आप कहेंगे तो मैं आपको दस मिनट दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार की 68 लाख एकड़ खेती की भूमि बाढ़-ग्रस्त है, 9 लाख एकड़ भूमि में जल जमाव है और ऐसी स्थिति में आज जल संसाधन के प्रबन्धन की जरूरत है। बिहार की असेंबली ने इस मद में पैसे मांगे हैं, इस मद के लिए पैकेज मांगे हैं, बाढ़ नियन्त्रण के लिए पैकेज मांगे हैं, विद्युत परियोजनाओं के लिए पैसे मांगे हैं, चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए पैसे मांगे हैं, खाद कारखानों के लिए पैसे मांगे हैं, तकनीकी संस्थानों के लिए पैसे मांगे हैं और दूसरे सड़कों, परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पैसे मांगे हैं। हम समझते हैं कि गृह मंत्री जी जिन-जिन मदों के लिए बिहार असेंबली ने 1लाख 79 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है उसके औचित्य को तो देखेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरे इस पैकेज पर विचार करने के लिए मेरी मांग है कि अविलम्ब बिहार में इस मुद्दे को ले करके सेमिनार या कांफ्रेंस बुलाई जाए। जिस में हिंदुस्तान और बिहार के इस मामले के एक्सपर्ट्स शामिल हों, सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हों और बिहार व झारखंड के विभाजन के बाद इस विषय पर कांफ्रेंस कर के एक कनक्लूजन पर पहुंचिए तभी बिहार और झारखंड दोनों का भला हो सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ महोदया आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया, आप को बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Hon. Deputy Chairman, I rise not to oppose the Bihar Reorganisation Bill, 2000. Although we have given notice of an amendment for sending the Bill to a Select Committee, the intention is not to oppose the creation of a Jharkhand State or the Bihar Reorganisation Bill. We strongly support and welcome the decision of the present Government for bringing the Bihar Reorganisation Bill, 2000. The idea was really mooted by late Shri Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India. There was a commitment made by the Congress Party and our leader, Smt. Sonia Gandhi, for creating a new Jharkhand State. It was a long-standing demand of the people living in that area. In fact, that was the main condition put by the Congress Party for supporting the RJD Government led by Laloo Prasad Yadavji. I rise to oppose the Bill for the reason that this Bill does not include a provision for merging Saraikala and Kharsuan with Orissa. It was a genuine and long-standing demand of the Orissa people to merge Saraikala and Kharsuan with Orissa.

Madam, as per the practice, this Bill should have been sent to either a Parliamentary Standing Committee or a Joint Committee or a Select Committee for a detailed discussion and consideration. This Bill should have been sent to any of the Committees for consideration of this genuine demand of the people. On 14th and 15th December, 1947, the rulers of the two former princely States, Saraikala and Kharsuan, signed an agreement with the Government of India for giving "full and exclusive authority, jurisdiction of power for governance" on 1.1.1948. At the time of the merger of princely States, it was decided that the princely States, if the rulers of those States agreed and gave their consent, would be merged with the respective States. On the same principle, the Jammu and Kashmir State, when their rulers gave their consent, was also merged with India. In the case of Saraikala and Kharsuan, the then rulers gave their consent for merging them with Orissa. Accordingly, in the year 1948, they were merged with Orissa. But District Mayurbhanj which was inbetween Saraikala and Kharsuan of Orissa, was not merged with Orissa at that time. It was merged only after 1949. From the administration point of view, it was said that for the time being, it would remain with Bihar, but after some time, it would be merged with

Orissa, and would come back to Orissa, Unfortunately, that never happened, and Saraikala and Kharsuan which were parts of Orissa, which were once merged with Orissa, could not come back to Orissa again.

Madam, as you know, in Saraikala and Kharsuan, if there is any important event, if there is any festival, it is celebrated by the Oriya people following the Oriya culture. A majority of the inhabitants of these two princely States used to speak Oriya, and they belonged to Oriya culture. In 1953, when the States Reorganisation Commission gave its Report, arbitrarily, the Report of the Commission was that they would remain with Bihar. Then, there was an agitation against that decision. Two young persons, Benga Pania and Sunil Deb, were killed in the agitation. Some people are saying that the Orissa people have started raising this demand only now. It is not a fact. This was a long-standing demand. Because others were not pursuing the matter, we were also silent. Since the Bihar Reorganisation Bill is now coming and the Bihar State is going to be reorganised, the Orissa people have placed their demand. In the Orissa Legislative Assembly, a unanimous resolution was passed for supporting the demand for merger of Saraikala and Kharsuan with Orissa State. Madam, I want to say that this is a long-standing demand. The Orissa people cannot forget the sacrifices made by the young persons. We have very good relations with the Bihar people. We do not oppose the creation of a Jharkhand State, but I demand that while creating the State, these things should also be taken into consideration as a result of which the Orissa people could get justice. Madam, I want to mention another point here regarding the reorganisation of the Bihar State. As many hon. Members have mentioned, while reorganising the Bihar State and creating the Jharkhand State, the financial arrangements could have been made. But that has not been done till today. I have been informed that when the demand for the merger of Saraikala and Kharsuan with Orissa was raised by the BJD MPs, and Congress MP the hon. Home Minister had stated that after the Bill is passed and the Jharkhand State is created, he would try to settle this dispute by calling the Chief Ministers of both the States, that is, Orissa and Jharkhand, and the dispute would be settled by the two States. I

urge upon the hon. Home Minister that, if it is so, before this Bill is passed in this House, he should give an assurance that this would be possible even after this Bill is passed. I think that would really be a great honour to the people of Orissa. Madam, today, the Utkal Sammilini has given a call for Orissa bandh. Today an Orissa bandh is being observed demanding the merger of Saraikala and Kharsuan with Orissa. Today, Orissa is totally closed and Bandh is a great success.

Madam, I want to mention one more thing as to why it didn't happen. At that time, West Singhbhum district had three sub-divisions, Saraikala, Kharsuan and another one DHAIRHUM which was originally with West Bengal. At that time, as per their demand that sub-division went to West Bengal. But these two sub-divisions were not given to Orissa. The reason may be that the people of Orissa are tolerant. The reason may be that the people of Orissa are peace-loving. The reason may be that the Orissa people don't want to have a tussle with anybody. It has become the weakness of the Orissa people. Maybe, that is the reason why, though the BJD MPs are wholeheartedly supporting this demand. The BJD is the partner of NDA--the NDA Government is not listening to the demand of the BJD people, the demand of the Congress people, the demand of the Orissa people. I would like to mention that this is not the only reason. Orissa is a small State. It is far away from the capital of the country. Orissa people do not raise their high voice in Delhi in every sphere, be it cyclone relief, be it increasing the coal royalty, be it declaring Orissa as a special category State or East Coast Rly. Zone Office None of the demands of Orissa is heard by this Government or any other Government. I urge upon the Central Government and all political parties please do not take Orissa people for granted. If the genuine demands of the people of Orissa are not considered by the Central Government and if it is deliberately neglected, the people of Orissa will not sit quiet. They will have to raise the issues at the national level to fulfil their demands. Before I conclude my speech, I once again urge upon the hon. Home Minister to be kind enough to consider the merger of the two princely States, with Orissa.

उपसभापति : आप साइक्लोन की बात कर रहे हैं। साइक्लोन के लिए तो आप

सभी राज्य सभा के मैम्बर्स ने खुद अपनी इच्छा से दस-दस लाख रुपए जमा करके दिए हैं, जिससे आपके यहां स्कूल बन रहे हैं।

श्री रामचन्द्र खूंटिआ : मैडम, अभी तक वहां कुछ काम नहीं हुआ।

उपसभापति : आप वहां से आते हैं, वहां बरसात हो रही है। आप अपने चीफ मिनिस्टर से सम्पर्क करिए, उनको मालूम है कि क्या परिस्थिति है। बरसात में कोई स्कूल बन नहीं सकता, बरसात खत्म होने के साथ ही काम शुरु हो जाएगा। पर कम से कम यह तो रिकग्नाइज़ कीजिए कि आपके साथियों ने आपकी कितनी मदद करी है।

श्री रामचन्द्र खूंटिआ : साथियों ने मदद करी है, मगर सरकार मदद नहीं करती, काम नहीं करती।

उपसभापति : नहीं, नहीं, यह गलत बात है। Don't make a wrong statement in the House. I am not going to accept it. I started the movement with the help of all of you. Don't make comments on this. Otherwise, I will withdraw the scheme.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: No, Madam. We are very grateful to the hon. Members and you for the help and assistance.

श्री संघ प्रिय गौतम : एक-एक महीने की तनख्वाह दी है लोगों ने।

उपसभापति : गवर्नमेंट की बात नहीं है आपके साथियों की बात है।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Madam, I want to mention here that before monsoon what we should have done had the Government could not do. That is what I want to say.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't make coments on that. Every Member of Parliament of this House has contributed Rs.10 lakhs for Orissa. So, don't say that we have no sympathy for Orissa. This is a wrong statement. I personally object to it. You withdraw it.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: The hon. Members have sympathy, but the Government doesn't have.

उपसभापति : गवर्नमेंट को कुछ कहिए पर यह ऐडमिट भी तो करना चाहिए कि एम.पीज़. ने अपने-अपने स्टेट के डेवलपमेंट फंड में से दस-दस लाख रुपए निकालकर के आपकी स्टेट उड़ीसा के लिए दिए और उड़ीसा के साथ हमदर्दी की।

रामूवालिया जी, संक्षेप में बोल दीजिए, आपको ट्रेन पकड़नी है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, बिहार राज्य

में से झारखंड राज्य की स्थापना होने के अवसर पर मैं समूचे झारखंडवासियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसके लिए इतना लंबा संघर्ष किया है। महोदया, श्री बिरसा मुंडा से लेकर अनेक योद्धाओं ने झारखंड के लिए संघर्ष किया है जिसके फलस्वरूप आज एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना हो रही है। यह एक शुभ शगुन है। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं इस बात के लिए कि ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई मैच बारिश के बगैर निकल जाए और फिर तीन के तीन मैच कोई जीत जाए। आडवाणी जी बड़े खुशकिस्मत हैं और ये उनका तीसरा मैच है और यह मैच भी वे जीत ही जाएंगे। हां, उन पर थोड़ी जिम्मेदारी अवश्य बढ़ जाएगी क्योंकि नयी समस्याएं उठ खड़ी होंगी।

महोदया, मैं एक मुद्दे पर ही अपनी हाजिरी लगवाऊंगा और अपने आपको उसके साथ ऐसोसिएट करना चाहूंगा और वह मुद्दा है बिहार के लिए आर्थिक पैकेज। महोदया, बिहार के लिए जिस आर्थिक पैकेज की बात हो रही है और विधानसभा ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसे मैं पूरा समर्थन देता हूं। सौभाग्य से वित्त मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं,. उन्हें विशेष तौर पर बिहार राज्य के बारे में सोचना होगा।

महोदया, बिहार भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी रहा है और बिहार के लोगों ने हजारीबाग से लेकर बड़े-बड़े संघर्ष किए हैं और महात्मा गांधी को स्वाधीनता की लड़ाई में पूरा सहयोग दिया है। श्री जयप्रकाश नारायण वहां रहे हैं और उन्होंने वहीं से एक नयी क्रांति की शुरुआत की। उनके समय में भारत की धरती पर पहली दफा गैर-कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई और एक नया तजुर्बा हुआ। पहले यह समझा जाता था कि शायद यहां एक ही पार्टी की मोनोपली है, वह भ्रम दूर हुआ 1977 में जब लोगों ने एक दूसरी पार्टी के लोगों को सत्ता में ला बिठाया। इससे गणतंत्र मजबूत हुआ और गणतंत्र की जड़ें गहरी हुईं।

महोदया, पंजाबियों को बिहार से हमेशा प्रेरणा मिली है। बिहार हमारे गुरु गोविन्द सिंह की जन्मस्थली है। अभी यहां मेरे बहुत से साथियों ने बिहार के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाने का मुद्दा उठाया है। मैं समझता हूं कि आपको यह पैकेज जरूर देना चाहिए। यह ठीक है कि आपके साधन सीमित हैं, फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको सारे देश को देखना है लेकिन बिहार के लिए आपको थोड़े ज्यादा धन की व्यवस्था करनी होगी। महोदया, उत्तरांचल के लिए किसी ने आर्थिक पैकेज देने की बात नहीं कही, छत्तीसगढ़ के लिए किसी ने आर्थिक पैकेज देने की बात नहीं कही, किसी ने नहीं कहा कि मध्य प्रदेश को आर्थिक पैकेज दिया जाए या उत्तर प्रदेश को आर्थिक पैकेज दिया जाए। केवल बिहार के लिए ही आर्थिक पैकेज देने की बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कि वास्तव में वहां की हालत बड़ी दयनीय है। यह 1लाख, 79 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव वहां की विधानसभा से आया है। बहुत सोच समझ कर है और मेरे ख्याल में एक ही दफे नहीं मांगा जा रहा है, प्लानिंग कमीशन भारत सरकार, वित्त मंत्री और सभी दलों के नेता बैठ कर सोच सकते हैं और ज्यादा करना है या कम करना है इस बात को छोड़ करके, एक बात पर सहमति इस हाऊस की बननी चाहिए कि बिहार को पैकेज देना है -एक लाख उन्नासी हजार नहीं तो हम थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन इसको नजर-अंदाज नहीं कर सकते। ...**(व्यवधान)**... उसमें मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूं, वह तो वित्त मंत्री जी विशेषज्ञ हैं, तो वह गिनती से बढ़ भी सकता है, अगर स्थिति ऐसी आ जाए।...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्री जी बिहार से आते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : बेशक बिहार से आते हैं, वित्त मंत्री तो सारे भारत के मंत्री हैं। ढिंडसा साहब पंजाब के मंत्री कैसे हो सकते हैं, वह तो सारे भारत के मंत्री हैं।

मैडम्, आखिर में, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि वहां टेक्नीकल एजूकेशन की जरूरत है, वहां सड़कों की जरूरत है, वहां हॉस्पिटल की जरूरत है, वहां एम्प्लोयमेंट की एपोर्च्युनिटीज पैदा करने की जरूरत है, वहां से लोग पलायन करके आरजी तौर पर काम करने के लिए उत्तरी बिहार में और भारत में अन्य स्थानों पर जाते हैं और वहां की खुशहाली में योगदान देते हैं। ऐसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति देख कर और उस प्रदेश की भारत के इतिहास और तवारीख में योगदान देख कर और उस प्रदेश का सारे भारत के विकास में योगदान देख कर और इस जरूरत को गहन और गंभीरता से लेते हुए आर्थिक पैकेज सरकार को मानना चाहिए। मैं इस नए प्रांत का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं।

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Madam Deputy Chairperson, it is a next to impossible task to try to alter, even slightly, the course of this irresistible force. Today this irresistible force manifests itself in the popular aspiration, popular mandate and, most importantly, the political will which have made imminent the formation of the Jharkhand State. But Madam, I must try, even against insurmountable odds, to make that little alteration. This is ironic because we are not against the formation of the Jharkhand State, but we do have a sense of historic injustice being carried forward and a sense that this may be the last opportunity to correct this injustice. And this is to do with the two small pockets of Seraikela and Kharaswan, which are now to be transferred from Bihar to Jharkhand, but which were, originally, merged with Orissa, and rightfully deserved to be in Orissa. I shall briefly point out the background of how this happened. Historically, even the entire Singhbhum district had not been considered as a part of Bihar. I will cite famous historians like Stirling, R.D. Banerjee and J.C. Bose, who had included the entire Singhbhum in Odradesh, or, the modern province of Orissa. Just to give one example from those writings Stirling, in his Asiatic Researches, Volume XV, Chapter V, has cited the Ain-I-Akbari, going back to many centuries, for this conclusion. In 1916, when the Orissa tributary or the feudatory State was defined, it clearly included the States of Seraikela and Kharaswan. There was good reason for this. Madam, it was not just on linguistic

ground. The issue of linguistic basis for the formation of States has been debated infinitely and it will continue to be debated all the time.

That is not the basis on which I wish to make out this case. Apart from the linguistic issues, there are historical reasons which I have just pointed out, cultural reasons which go very deep, geographical reasons of contiguity, administrative simplicity and, most importantly, legal and constitutional propriety. Madam, on December 14, 1947, Seraikela and Kharswan signed the Instrument of Accession and, shortly thereafter, were merged with Orissa, which was rightly so, because they had always been associated culturally, etc. with Orissa, as I have just pointed out.

There was a problem, Madam, which was temporary in nature and which has resulted in this injustice that continues till today. The problem was that between, on the one hand, the mainland State of Orissa and, on the other hand, the States of Seraikela and Kharaswan, lay the other princely State of Mayurbhanj which dragged its feet in signing the Instrument of Accession. As a result, it was difficult for the Orissa Government to administer the former princely States of Seraikela and Kharaswan because of lack of physical contiguity and, on this basis, the Orissa Government voluntarily requested, on May 16, 1948, the Centre to temporarily-and, Madam, I stress this word 'temporarily'-manage the States of Seraikela and Kharaswan until the Instrument of Accession was signed by Mayurbhanj. This is critical, Madam, because the sanctity of the signing of the Instrument of Accession, followed by the merger agreement, is vital to this country's policy. We cannot have one stand on the issue of Kashmir and a completely different stand on the issue of the rightful belonging of Seraikela and Kharaswan. Madam, however, two days after the Government of Orissa voluntarily asked the Centre to manage this issue temporarily, Orissa, Seraikela and Kharaswan were betrayed, and, administratively, without any hearing, without due process of law, these two States were merged with Bihar. This was ironic, again, because, a few months later, on January 1st, 1949, Mayurbhanj finally signed the Instrument of Accession and the only minor issue of contiguity of the merged State of Orissa became once again a reality. So, there was every reason for Seraikela

and Kharaswan to be remerged back into Orissa. But that never happened.

Madam, I will point out that the historical injustice which had been continuing was actually understood clearly at that time. In 1953, when the States Reorganisation Commission was looking into the matter, the then Chairman of the Commission, Justice Fazal Ali, declined to participate on this specific issue of these two small ex-princely States being merged into Orissa, and I quote him, Madam. Justice Fazal Ali said, "On account of my long association with Bihar, I shall not touch the subject even with a pair of tongs. In other words, I know that a great injustice may have to be done for reasons beyond my control, but I shall not be a party to it". This injustice has been continuing for the last 52 years.

Madam, looking at the Census figures of the last century, going back as far as 1872, 1891, 1901, 1911, all the way through, till several years after their merger with Bihar, you see that the dominant language there was Oriya; the court language there was Oriya; about culture, I have already emphasised the point. But if you look at the last fifty years since then, I would like to point out something which is a stark reality. I would like to mention here briefly that yesterday, on the occasion of passing of the Uttaranchal Bill, the hon. Member, Shri Kuldip Nayyar, pointed out that he had observed in his travels around the country that linguistic minorities had not been given the due protection and encouragement that they deserved. This is the stark reality in Seraikella and Kharaswan. In 1920's, there were 150 primary schools operating in the Oriya language in these two princely States. I would like to point out that several times, over the last few decades, in 1972, in 1976, in 1980, in 1986 and 1987, the Bihar Government agreed, in bilateral agreements, to extend all facilities to the Oriya linguistic minorities in the matter of education. Here, I would like to point out that nothing has been done in practical terms. In these last fifty years, not one - and I emphasise this; not one - Oriya medium school has been put up by the State Government of Bihar. If this does not justify the cause of linguistic minorities, I don't know what else does. Madam, when the question of linguistic minorities, as a principle, whether they should be tolerated in one State or merged

with another, is discussed, it is never an issue that an artificial linguistic minority is created in a State. Usually, the situation is dictated by geography or dictated by administrative reasons, not by artificial reasons, as has been the case in this instance. In brief, I would like to point that due process has not been applied in this situation and there has been no fair play. If, in our Constitution, we cannot expect these two, it gives a dire foreboding of other difficulties to be faced.

Madam, outside this august House, it has sometimes been pointed out that there have been no mass movements and, particularly, no violence associated with this. I would like to retort that. Should that be the basis for the decision of how States are to be reorganised? Should it not be the Constitution; should it not be fair play; should it not be precedents? Should it be violence, mass movements? I would like to cite what Gen. Roy Chowdhury said yesterday. When speaking on the Uttaranchal Bill and of a particular pocket that wished to be left out, he suggested that it should temporarily be left out until a referendum was conducted. That is what I would like to ask for in respect of Seraikela and Kharaswan.

Madam, while concluding, I would like to make one clarification. Yesterday, it was pointed out that it was, perhaps, an anomaly that our party, being a part of the NDA, is opposing this Bill. I would like to point out that neither are we against the NDA, nor are we against this Bill. We, in fact, are for this Bill and we will not oppose this Bill. At the same time, Madam, again, I would like to emphasise that this is a moral protest of this proposal. We are seeking a minor alteration in the Bill and we are not against the entire Bill. It is conscientious, and we would like to point out, however, that if this conscientious motion of ours is not accepted, then we cannot participate in the Bill to give it our assent ourselves, and we will be constrained to absent in that case. But in no way should it be construed as a broadside against the NDA policies in general. We are part of the NDA, and we remain so. Thank you, Madam.

SHRI R.K. ANAND (Bihar): Madam Deputy Chairperson, today is going to be a red letter day in the history of Indian Parliament and Indian democracy that this House is just going to put its seal on

a Bill which relates to the creation of Jharkhand which is going to become a reality.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it your maiden speech? ...*(Interruptions)*... हो गई मैडम, ठीक है।

SHRI R.K. ANAND: Parliament is creating a new State by giving its assent to a concept which exists in the hearts of the poor *Adivasis* of the area. Though they are poor, nature has given them all the natural resources. They have many rivers. River Sone originates from Jharkhand. River Ganga is flowing by the side of Raj Mahal and Saheb Ganj. If the nature is so beautiful, it is no use feeling jealous about their resources.

Madam, the history of Jharkhand is very old. The first Jharkhand party was constituted on the renaming of *Adivasis Mahasabha* which came into existence in 1938. The struggle for a Jharkhand State started in the 50's and the struggle has been all the time peaceful, non-violent and well organised, involving each and every house of Jharkhand. I would like to pay my tributes to the sustained struggle and suffering and sacrifice of S/Shri Tilka Manjhi, Birsa Munda, Siddo Kanho, Sadanand Jha, Shyam Lal Murmu, Shyam Sunder Singh, Father Anthony Murmu, (ex-Member of Parliament), Jai Pal Singh Munda and Nirmal Mahto. This struggle was continued by Shri Shibu Soren, Member of Parliament, for the last about 35 years. They were a source of inspiration for the creation of Jharkhand State and they have dreamt about it.

The name of Birsa Munda can never be forgotten by the people of this country. What a historical struggle he fought! When the Hindu and Muslim Zamindars used to oil the British, the adivasi Santhals fought against the British during the Santhal Revolution. They understood that this country belonged to them and not to the Britishers. We have to proceed on the basis of this historical fact. That is why, Madam, I feel that we should not oppose this Bill so that Jharkhand may become a reality.

Today, the demand of the people of India is not just food, but recognition for their culture, language and social values. We should not backtrack on this question of respect for culture, language

and heritage. Another important fact which can't be lost sight of is that the struggle for Jharkhand did not follow violent means. They have not taken to arms. They have not kidnapped anybody. They have not destroyed train or other public property by bomb blast. They have shown enough patience.

I would like to add that it was becoming imperative to carve out new States out of the three large and most difficult States to manage, and that is why there is a unanimity amongst most of the political parties, in spite of having differences. It would help in an active trickling down of the benefits of development to poor and marginalised sectors. This is the precise reason why two extreme poles of Indian politics-the Congress and the BJP-have shown courage in making Jharkhand a reality.

Now, when the Jharkhand State is being formed, a lot of hue and cry is being raised on the pretext that there would be a revenue loss to Bihar. This is nothing but creating a confusion in the minds of the people. Even after losing 65% of the revenue, the residual Bihar would be getting much higher revenue, since Jharkhand would be receiving less amount out of the Central tax collection. Against the estimated revenue of Rs. 4200 crores, Jharkhand would get Rs. 2215 crores and Bihar would get Rs. 1985 crores. In the Central tax, the share of Jharkhand is Rs. 1560 crores; and for Bihar, it is Rs. 3,640 crores. It becomes Rs. 3775 crores for Jharkhand and Rs. 5625 crores for Bihar. Madam, this is one advantage for residual Bihar which can be seen from the figures I have given.

I can understand the anxiety of the people of Orissa. I can understand the problems being faced by the people of Seraikella and Kharswan. It is being mentioned that there is a decline in the number of Oriya-speaking people in these two States. I understand their anxiety that nobody cared to intervene and find out why the Oriya-speaking population is coming down. I understand their anxiety that there were shortage of primary schools teaching Oriya.

I would like to appeal, on behalf of the respected Members from Orissa, that top priority should be given for the development of Seraikella and Kharswan in the Jharkhand State and the development

in these two areas should be on par. There should be proper arrangements for schools teaching Oriya and full arrangements should be made to see that Oriya is properly taught to them.

I must remind that the people in these two areas are there for nearly 45 years. More than two generations have passed by. The people of these areas have totally adjusted themselves with the other languages prevalent in the State. The people of these regions are so much mixed up that they speak the language of Jharkhand more than the language of Oriya. There is no reason why this Bill should be referred to a Select Committee. Jharkhand is a reality, as of today, and we would not like this Bill to be sent to a Select Committee. Jharkhand, on its own, is going to be strong, self-sufficient and successful and I am sure, the people in this area will benefit from its resources.

The then Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, was so mature and realistic to concede the demand for the formation of seven States during her tenure. Himachal Pradesh and Haryana were carved out in 1966. Four States were carved out in 1972; they were Manipur, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Sikkim was formed in 1975.

If we had been very rigid, we would not have had 14 States and 6 UTs which were made in the year 1956, on the basis of language. Today, we have 25 States and 7 UTs. Tomorrow, there would be 28 States and 7 UTs. This reflects our flexibility and the spirit of federalism. It would be unfair to the population of 2.8 crores, who are really poor, if this Bill is opposed. Now they are being given a chance to go forward and have their aspirations fulfilled.

So far as the question of comprehensive package is concerned, the Government has taken care to put clause 40 in the Bill, wherein it is clearly mentioned that the President would determine the share of States of Bihar and Jharkhand in the total amount payable to the existing State of Bihar, on the recommendations of the Finance Commission, constituted under article 280 of the Constitution.

I express my sincere thanks to the hon. Prime Minister of India, Shri Atal Behari Vajpayee, Home Minister, Shri L.K. Advani, Congress President, Smt. Sonia Gandhi, Congress Leaders, Dr.

Manmohan Singh and Shri Pranab Mukherjee, all other partners of NDA, and Shri Lalooo Prasad Yadav. But for them this Bihar Reorganisation Bill, 2000 would not have come into existence.

With the passage of this Bill by both Houses of Parliament, today, the voice of the poor *adivasis* and the deprived and depressed have become victorious. This is a victory for our democratic system and the long, peaceful, struggle for creation of Jharkhand State. This is also a great day in the history of free India as the federal structure has become more relevant and strong.

I convey my heartiest thanks to the people of Jharkhand.

DR. M.N. DAS (Orissa): Respected Deputy Chairperson Madam, it is so kind of you to have permitted me to take the floor. But I am very much afraid of your tip of the finger which is very near to your bell. As a disciplined man, I should not cross the limit of time. But it is my conviction by now that the House is divided into two castes; some are more equal than others, and some are less equal. More equals may speak for any length of time and less equals would not have a chance to speak even for two or three minutes. Anyway, that is not the issue.

Madam, I think all my eminent and hon. friends in this House, as Members of Parliament. would agree if I say that all of us regard our country far, far above our respective States and all of us regard our nation far, far above the people of our respective regions. There may be small disputes here and there over distribution of river water or some territorial problem. But whenever there is a threat to the nation or there is a disaster in a particular region of any State, the entire nation stands up as one family to face that challenge. That is the spirit of India; that is the strength of the nation. So, Madam, I, as a Member of Rajya Sabha from the State of Orissa, welcome the formation of the new State of Jharkhand. I feel more happy because the new State of Jharkhand will be our immediate neighbour in the north. Jharkhand and the northern belt of Orissa are rich in mineral resources, forest resources and water resources. When Jharkhand prospers, we will benefit in Orissa. When the mines and minerals are tapped, the people in both the places will benefit. Even now, as of

today, Jharkhand has TELCO and TISCO whereas Orissa has NALCO. If they have Bokaro Steel Plant, we have Rourkela Steel Plant. Both the places or regions or States will share the power generating units of the Suvaranrekha river. So, I welcome the formation of the State of Jharkhand. On behalf of my friends from Orissa, I wish the best of success and prosperity for the people of Jharkhand. Madam, what we are praying for is - I have given a small amendment also - that let the hon. Home Minister on this occasion and opportunity of reorganisation of States for the second time rectify the historic injustice done to Orissa and the legal fraud perpetrated on the people of Orissa. At this moment, Madam, it is for your kind information and for the information of the entire House that the whole of Orissa is in a standstill condition. There is a general *bandh* all over the State. Why? With due respect to the hon. Home Minister, let me point out, kindly do not treat more than three crore people of Orissa as lightly as you are doing. There is a national sentiment; there is a national emotion attached to this. Madam, I have records, evidences and facts and figures with me to show how the Instrument of Accession, the agreement of merger, how the States Reorganisation Commission's work had been manipulated in a way that the two Oriya-speaking places, Seraikella and Kharswan, were handed over to Bihar Let there not be any territorial irredenta when you are going to lay the foundation stone for a new State. Remove that irredenta; rectify that historical mistake; rectify this legal fraud so that this new State stands on a solid foundation of fairness, justice, honest and unpartiality. Now I have no time to present the facts and figures. But my humble prayer to you, Mr. Home Minister, is that the new State of Jharkhand will contain 18 districts and may be equal or bigger in size of the erstwhile Bihar. What Orissa is praying for is only a small sub-division of a small district called West Singhbhum. The people of Orissa feel pained and anguished that when the entire Orissa Legislature unanimously passes a resolution on Seraikella and Kharswan, the Centre does not care for that united, unanimous, resolution of a State Legislature. The Orissa Legislative Assembly represents three crores of people, and with due apology again, let me point out a fact that when 19 Members of Lok Sabha, who are partners of the NDA, met the hon. Home Minister, he would not hear

3.00 P.M.

or listen to their grievances, though they formed a part of his own Government. Would the hon. Home Minister realise the significance of that kind of treatment? A message has gone to Orissa. Are you not harming indirectly your own Government? But, anyway, I am not going to elaborate on it. Madam, I know your eyes have turned serious and I have to sit down.

THE DEPUTY CHAIRMAN: My eyes are never serious because there is always softness for every Member, but the problem is, today, we have the Private Member's Bills.

DR. M. N. DAS: I conclude with only one appeal to the hon. Home Minister and the Government of India. Kindly do not continue with something wrong that has been done long ago. The irredenta continues for centuries. Unless it is rectified in time, unless the wrong is corrected into right, there will be no harmonious relationship between State and State. So, something has to be done. I appeal to your good sense, your conscience, to do justice to Orissa by giving back one small sub-division of a small district so that we do not feel for ever that there is a friction between the sister States of Jharkhand and Orissa. That is my humble submission to you. If the hon. Home Minister makes a commitment to this effect that the Centre will do it, then don't ask the two Chief Ministers to be together. With the Centre's power, you are creating the new State; and you can settle the dispute by your own mediation. Let not the Chief Ministers quarrel and make the friction more controversial. I appeal to your commonsense and your conscience to do justice to Orissa, which had been denied for the last 50 years, in spite of continuous agitation and representation. Thank you.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I have a request to make.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is why my eyes perhaps betrayed my seriousness.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I have two requests to make. Sureshji was kind enough to wait for some time to take up this thing. The other request is, today being Friday, many of the Members

have planned to go from 4 o' clock onward to their respective Constituencies. Programmes have been fixed. Keeping the importance of the Bill in mind, I only request you to see that it is completed earlier. Afterwards, whoever is interested, can have the discussion, if they want to.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदया, निस्संदेह यह जो बिहार पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हो रही है यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि 86-87 में खुद राजीव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी बनी थी, कमेटी आन झारखंड और उसमें यह परिकल्पना थी कि एक अलग से राज्य स्थापित किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि वह सपना आज साकार होने जा रहा है। इसलिए मैं इसको महत्वपूर्ण मानता हूं। जैसा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है, मैं स्वयं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि झारखंड राज्य का निर्माण होना चाहिए। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा बिल आगे किस दिन डिसकशन के लिए होगा। इस बारे में जो भी आपका निर्देश होगा वह मुझे स्वीकार होगा। क्योंकि इस बिल से जहां राजीव जी की भावना जुड़ी है, स्वयं इन्दिरा जी ने झारखंड के सिलसिले में छोटा नागपुर संथाल परगना डवलपमेंट अथारिटी बनाई थी, उन्हीं सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और इस बिल को महत्वपूर्ण मानते हुए जो भी आपका निर्देशन होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा और इस बिल पर चाहूंगा कि चर्चा पूरी हो जाए।

उपसभापति : अभी मेरे पास पांच छः नाम और हैं और फिर होम मिनिस्टर साहब का रिप्लाई भी है और बिल के अन्दर ढेर सारे अमेंडमेंट भी है। सब को पास करने में समय तो जाएगा। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा ठीक है हमारे समय में से ले लीजिये। मुझे लगता है कि प्राइवेट मैम्बर्स के समय में कुछ रह नहीं जाएगा। आज जैसे कि वेंकैया नायडु जी ने कहा कि लोग जाना चाहते हैं लांग वीक एंड है और इंडीपेंडेंस डे भी है। अगर हाऊस एग्री करता है तो इनका जो बिल है इम्पलायमेंट के ऊपर वह नेक्स्ट फ्राइडे को ले लिया जाए और जो रेज़ोलूशन है वह उसके बाद के फ्राइडे को ले लेंगे।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Madam, this Bill has been discussed for two days so far. The next Bill is mine.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The next Bill will come. It won't lapse. So, we will take up Suresh Pachouri's Bill next week. If the House so agrees, we will discuss it next Friday. After this discussion is over, we can adjourn the House, if the House so agrees.

SOME HON. MEMBERS: We agree.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Agreed? Okay. But it does not mean that discussion can run amok and we wait here till 8 o' clock. Still, we will have to finish the Bill within the stipulated time.

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Madam, time constraint will always be there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, time constraint will continue.

श्री राजीव रंजन सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 के समर्थन में मैं हूं और समर्थन में इसलिए हूं कि हमारी पार्टी समता पार्टी और एन.डी.ए. ने यह वादा किया था और हम उस वादे को झारखंड वासियों के लिए पूरा करने जा रहे हैं। हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं कि इसका श्रेय किस पार्टी को जाता है क्योंकि विपक्ष की सब से बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन किया है। लेकिन महोदया, इस संदर्भ में जो बिहार सरकार की भूमिका रही है, उस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। कल माननीय परमेश्वर अग्रवाला जी अपने भाषण के क्रम में बिहार सरकार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बधाई दे रहे थे। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। महोदया, यह इसलिए कि बिहार सरकार और लालू प्रसाद जी अपना रंग समय समय पर बदलते रहे। एक समय ऐसा आया था जब उनकी पार्टी का विभाजन हुआ और उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के समर्थन की जरूरत थी। उन्होंने विश्वास मत प्रस्ताव पास करा दिया और जैसे ही उन्होंने अलग अलग पार्टियों को तोड़ कर अपना बहुमत बनाया उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी प्रभावित हुई थी। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदया, मेरे ख्याल में जो सदन में उपस्थिति नहीं है, उसके बारे में व्यक्तिगत तौर पर चर्चा न हो तो अच्छा है।

श्री राजीव रंजन सिंह : मैं कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं बिहार सरकार की चर्चा कर रहा हूं।

श्री नीलोत्पल बसु : जिसके बारे में जिक्र हो रहा है वह सदन में मौजूद नहीं है, अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं हाऊस में इसलिए यह रूल के खिलाफ है। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव रंजन सिंह : मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री रामदेव भंडारी : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक लालू जी ने नहीं चाहा, यह लाख छटपटा कर रह गये नहीं बना सके। ...(व्यवधान)...जब लालू जी ने चाहा है तभी झारखंड स्टेट बना है। ...(व्यवधान)...

श्री विजय सिंह यादव (बिहार): सब कुछ लालू यादव ने किया, श्रेय यह लेना चाह रहे हैं। ...(व्यवधान)... वनांचल से झारखंड ये क्यों आ गए ...(व्यवधान)...

श्री राजीव रंजन सिंह : नया प्याज मत खाईए ...(व्यवधान)...

तो महोदया, फिर उसके बाद पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। जब फिर कांग्रेस पार्टी से समर्थन की उनको आवश्यकता हुई इस बार सरकार

बनाने में तो उनका झारखंड प्रेम फिर से जागा। इसलिए महोदया, बिहार सरकार की जो भूमिका रही है वह झारखंड के पक्ष में नहीं रही है। अभी भाषण करते हुए हमारे बड़े भाई माननीय सदस्य डा. रंजन प्रसाद यादव जी ने चर्चा की कि बिहार सरकार ने विधान सभा से 1,79,000 करोड़ के पैकेज का प्रस्ताव पास किया है। पैकेज शेष बिहार को जरूर मिलना चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी इसके लिए चिंतित भी रहे हैं। लोक सभा में उन्होंने कहा भी। जो बिल है उसके आब्जेक्ट में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है। महोदया, 1,79,000 करोड़ के पैकेज के लिए कोई योजना विधान सभा ने तैयार नहीं की। कोई कागज पत्र तैयार नहीं किया।

श्रद्धेय धम्मा वीरियो (बिहार): चश्मा लगाकर देखें। ऐसे खाली मत कहें। कमाल की बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : माननीय सदस्य बिहार विधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में भी टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह : मैं प्रस्ताव के बारे में कह रहा हूं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

श्री नीलोत्पल बसु : यह अनप्रेसीडेंटेड है। यह व्यवस्था के खिलाफ है। He is also commenting adversly on the proceedings of the Bihar Assembly.

उपसभापति : राजीव रंजन जी, आप भी बिहार से आ रहे हैं क्या?

श्री राजीव रंजन सिंह : जी मैडम।

उपसभापति : अच्छा बिहार से आए हैं। यह तो मालूम नहीं कहां से आ रहे हैं। मैं उनके इलेक्शन में नहीं गयी हूं ...**(व्यवधान)**... अच्छा आप बैठिए, मैं बोलती हूं ...**(व्यवधान)**... एक सेकेंड जरा आप चुप रहेंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदेव भंडारी : कापी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है।

उपसभापति : अच्छा आप बैठिए। ऐसा है कि आज जो चर्चा हो रही है इसमें हो रही है कि झारखंड राज्य की स्थापना हो जाए। उसके लिए प्रायवेट मेम्बर्स ने भी अपना समय देकर इसको पास कराने का निर्णय लिया है। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। आप बिहार के होकर चर्चा कर रहे हैं कि देना चाहिए उनको पैकेज। तरफदारी कर रहे हैं। जो स्टेट की असेम्बली में निर्णय हुआ है उसके बारे में विस्तार से बात करने की क्या जरूरत है आपको। आप सपोर्ट कर रहे हैं बिल का या आपोज कर रहे हैं, पैकेज चाहिए या नहीं चाहिए इसी पर बात कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर आप विवाद करेंगे तो फिर मुझे तो समस्या हो जाएगी क्योंकि झगड़ा तो होने वाला है इसके बाद। ये आपोज करेंगे। इसलिए अपना सीमित रखिए ...**(व्यवधान)**... अच्छा अब आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... उन्हें दे दीजिए। आप ऐसा करिए कि उनको इसकी कापी दे दीजिए

...**(व्यवधान)**... आपने शायद उन्हें कान्फीडेंस में नहीं लिया होगा तो ले लीजिए उनको। चलिए आप बोलिए ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदेव भंडारी : जानबूझकर कोई अनजान बनता है तो उसका कोई उपाय है?

उपसभापति : कागज दे दीजिए उनको। हां बोलिए।

श्री राजीव रंजन सिंह : हां, तो मैडम पैकेज की बात है। पैकेज मिलना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि योजना आयोग में इसके लिए कमेटी बनायी है। लेकिन बड़े भाई रंजन प्रसाद यादव जी शेष बिहार के लिए काफी चिंतित हैं, अभी उनका पूरा भाषण शेष बिहार का विकास कैसे हो, इस पर हो रहा था ...**(व्यवधान)**... आप उत्तरांचल पर बोल रही थीं अब बिहार पैकेज और बिहार के बारे में बोल रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : अब उनको बड़ा भाई बनाने में भी कोई ऐतराज है क्या? तो फिर चुप रहिए।

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदया, पैकेज की बात सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने यहां उठायी थी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी से मिले थे और उसके आधार पर योजना आयोग में उसके एक विशेष सेल का गठन हुआ। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं शेयर कर रहा हूं बड़े भाई रंजन प्रसाद यादव जी की उस भावना से कि बिहार का विकास होना चाहिए लेकिन इसके लिए इनको पहल करनी पड़ेगी। इनको वहां राजनीतिक पहल करनी पड़ेगी। जब ये कुछ राजनीतिक पहल करेंगे तभी शेष बिहार का कल्याण हो सकता है। अन्यथा जो वर्तमान स्थिति है उसमें कोई पैकेज सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार घोटालों का प्रदेश ही रहा है कहीं ऐसा न हो कि पैकेज घोटाला शुरू हो जाए। ...**(व्यवधान)**... आप तो इधर से उधर गए हैं इसलिए ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : यह पूरे बिहार प्रदेश का अपमान है कि यह कहा जाए कि बिहार घोटालों का प्रदेश रहा है। यह पूरे बिहार प्रदेश का अपमान है, वहां की जनता का अपमान है।

श्री रामदेव भंडारी : यह बिहार की जनता का अपमान है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : उनका खुद का भी तो है, वे भी बिहार के हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदेव भंडारी : उनको अपमान-सम्मान की चिंता नहीं है, तो बिहार की जनता को तो है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदया, मैं पैकेज की बात करता हूं और गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शेष बिहार के लिए जो पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में होता है

उसके लिए नेपाल सरकार से वार्ता करें, पूरे उत्तर बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलायें। जो बिहार की रुग्ण पड़ी चीनी मिलें हैं उनको मॉडर्नाइज़ करके उनको चालू करायें। रोहतास इंडस्ट्री बहुत बड़ी फैक्टरी है जो वर्षों से बंद पड़ी है उसको चालू कराने की दिशा में माननीय गृह मंत्री जी कदम उठाएं तो इस बंटवारे के बाद, शेष बिहार के लिए जो एक चुनौती है उस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BIRABHADRA SINGH (Orissa): Madam, as a student of Political Science, I could have spoken in English, but the inclusion of Sareikala and Kharsuan in Jharkhand, through the Bihar Reorganisation Bill, being a sentimental question for Orissa, I would like to speak in Oriya. Madam, as a student of Political Science, if I rightly remember, Ivor Jennings, an eminent Constitutional expert, had said that in a Parliamentary democracy, the Government can make and unmake everything except making a man into a woman and a woman into a man. The previous speaker honourable Ranganath Mishra my professor Dr. M.N. Das and my friend Mr. B.J. Panda have rightly pointed our that in the most unfortunate manner the rightful demand of Orissa was neglected at that point of time. A formula was adopted for the merger of all the princely states with India. But unfortunately that formula was not followed with regard to the two small princely states of Sareikala and Kharsuan. The Rulers of these states agreed to merge their states with Orissa by putting their signature on the Instrument of Accession. As a member of the House Committee of Orissa Legislative Assembly, I had visited Sareikala and Kharsuan in the past. I know what are the hopes and aspiration of the Oriya people living there. My previous speakers have highlighted the difficulties of these people. The primary schools and other schools located in Sareikala and Kharsuan are a neglected lot; as a result the education of the people of these areas is also neglected. Till today the people of Sareikala and Kharsuan are having cultural, linguistic and matrimonial relation with the people of Orissa

Madam, as a tribal member of this august House I whole-heartedly support the formation of Jharkhand state. In this connection

---

* English translation of the original speech delivered by Hon'ble Member in Oriya.

I would like to quote the famous Russian writer M. Gorkey who was a champion of the causes of the labour class and the down-trodden of the society. He said, "We are the first men to do everything and we are the last men to get anything". These tribal people have contributed a lot for the development of the country. They have given their blood and sweat for the progress of the country. But unfortunately they are the people who have never got the benefit of the economic progress of the Country. It is heartening to know that the government has considered the rightful demand of the tribal people and agreed for the creation of a separate Jharkhand state. The creation of this state will certainly fulfill the hopes and aspiration of the tribal communities. The tribal people will certainly reap the benefit of the creation of a new state after thousand years of sufferings of hard life in jungles and mountains devoid of any economic progress and prosperity. I don't want to hesitate in paying my respect to the tribal leaders like Birsa Munda, Sado, Kanu who had fought against the exploitations of the tribals by the people of vested interest.

I know that the percentage of the tribal Population will be less as compared to others in the state, but they will not hesitate to rebuild their land as a progressive and prosperous state. In spite of the fact that the area is rich in mineral resources like iron-ore, etc the people live in utter poverty. Tribal women do not get proper clothes to cover their body and the tribal youth suffers from pre-mature old age due to lack of proper food.

Madam, I have no doubt in my mind that the creation of the new state will remove poverty and hardship and sorrow of the people of the area. Madam, an all party House Committee from Orissa under the leadership of Speaker of Orissa Assembly is on visit to convince the Prime Minister and Home Minister and other central leaders to return the two former princely states of Sareikala and Kharsuan to Orissa.

I urge upon the central government to solve this problem in a legal and constitutional method.

Madam I conclude by thanking you for giving me the opportunity to speak on the Bihar Reorganisation Bill, 2000.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, today is an auspicious day for the people of Bihar; particularly, for the people of Jharkhand. Madam, my mother-tongue, Tamil, has got a rich literary value and a literature, more than 3000 years old. Madam, about 2300 years ago, there was a poet called Mamoolan. He had written a poem in which he had mentioned about the Nanda dynasty. It may be there even in the Bihari language. I do not know. It is said in the poem that the Nanda King guarded his wealth in a separate room under the Ganga river. Maybe, it is a new message for the people of Bihar, but it is already there in our poetry. Even 2500 years ago, Bihar was a well known place throughout the Indian sub-continent. That is, wealthy people lived there. A king--we can say, "a despot"--stood with the people there. We all know how the Nanda Dynasty was overthrown and a new dynasty came. The reason for the fall of the Nanda Dynasty still persists throughout India.

Madam, when Jagjivan Ram unveiled the statue of Sampoornanand, he did not touch the statue. He just pushed the button, and the Sampoornanand statue was unveiled. Some people said that the statue was polluted. Then, what they did was that they poured three pots of the Ganga water on the Sampoornanand statue to see that it became pure. We cannot touch a live wire. If we touch it, we will be no more. But the Indian caste system is so severe that it can pass through a live wire even. Jagjivan Ram actually held a very high position. He was one of the top leaders of India, the people who actually reconstructed India after the Independence. He played his own role.

You know the life of Dr. Rajendra Prasad. When I was a young boy, I read the life history of Dr. Rajendra Prasad. I read in that book that Dr. Rajendra Prasad passed the 8th standard and was promoted to the 7th standard! It is peculiar. I was much amused. There was a footnote in that book that in those days, in villages in Bihar, schools started from the 10th standard and finished with the 1st standard. I do not know how far it is true.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Bihari people can tell you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:Maybe,Mr.Yashwant Sinha will know this.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): It is as if we are born at the age of 60. ...*(Interruptions)*...

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: He created Nalanda and Vikramshila also.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Yes, he started Nalanda also. If we go into that, I cannot talk about the subject, for which I am standing to speak here.

Madam, I hail from the far South. There is the North, there is the Centre and there is the South. Eighteen districts have been seceded from the present Bihar for the new State. I suppose, the residual Bihar will have 38 districts. Actually, the North of Ganga is different from the South of Ganga. The North of Ganga has a different problem. There is complete water logging. The South of Ganga suffers from drought. Bihar is both put together.

Madam, now, more than 2 crore persons are going to have their own State. There was already a call. Nobody has spoken about this so far. May be, they thought that it was not so important. I suppose, there is a movement in Bihar. I suppose, they want to make the Maithili language one of the Official Languages of India. There is a movement. If it is so, I feel, the Maithili language has got its own followers. That has not been addressed to in this Bill. Maybe, at some later stage, this issue may be raked up.

Apart from that, the Oriya-speaking people have got their own apprehensions about their safety and their future. That aprehesion, particularly, in the minds of those who are in minority in Bihar, should be allayed either through a legislation or through a guarantee from the Government of India.

Now, I come to the revenue side. After the bifurcation of the State, fertile and mineral rich land will go to Jharkhand. North Bihar may suffer on account of revenue loss. I do not know how much will

it suffer, but they have put forward a package of more than one lakh crore rupees to offset the loss which will be sustained. I suggest that the Government should formulate some policy in this regard. It should total the gross domestic revenue of each State out of the per capita income of the people of the Jharkhand and the per capita income of the people of the residuary Bihar to arrive at the monetary quantum of loss. ***(Time-bell)*** Please be considerate. I will just conclude. As per the procedure adopted by the Finance Commission, efficiently run Governments are being given less money and the laggards are getting more money. The same policy should not be repeated in the case of Bihar. It should be found out how much will the State of Bihar be affected. Then both the States and the Central Government should take steps in a cooperative endeavour to see that the people of the residuary State do not feel that they are adversely affected because of the bifurcation of the State.

Now, I come to the point on salaries paid to the Government servants. I feel, the salary paid should be treated as part and parcel of the plan expenditure. No plan in any State in India can be implemented without the active involvement of the Government servants. Therefore, even though their salaries come under the revenue expenditure, it should go to the capital expenditure side.

Now, I come to the question regarding generation of power. You said that the Central Government will give some direction to the State Governments as to how they should utilise power. If you go through Clause 64 regarding the financial corporation, it is said that if there is any disagreement, the Central Government may refer the scheme to a judge of the High Court of Bihar or of Jharkhand, whose decision thereon shall be final. Madam, I do not suspect the wisdom of judges right from the Himalayas to Kanyakumari, but, at the same time, I would emphasise that we should not leave any room for suspicion. If a judge from a particular State gives a decision, which happens to benefit the State to which he belongs, this may give rise to suspicion. To do away with that possibility, it would be better to refer such cases to the judges who do not belong to those States.

Regarding the generation of electricity, 84,000 megawatts of electricity can be generated in case we utilise the rivers that originate

from Nepal and Bramhaputra: If we concentrate on that issue, instead of thermal power which is very expensive, it would be better. As far as generation of hydro-electricity is concerned, the cost is less. If we have proper interaction with the Government of Nepal, then, we can exploit and utilise the water from the rivers originating from Nepal. Similarly, water from the Brahmaputra river can also be utilised for generating hydro-electricity. In the case of thermal power, the cost of generation is very high.

The last point I would like to say is about the river water management and other things. Yesterday, my friends have also quoted. As far as the sharing of the Cauvery river water is concerned, it has been amicably settled between Karnataka and Tamil Nadu. I quote : "The Authority also considered the issue of release of water into Mettur Reservoir in accordance with the Interim Orders of the Cauvery Water Disputes Tribunal and agreed that Government of Karnataka would endeavour to make good the deficit in inflow into Mettur Reservoir for the month of June, 2000 within the next 30 days." ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I am not permitting you. Mr. Thalavai Sundaram, please go back to your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Yesterday, they have raised it. Madam, totally, in good faith, our Prime Minister has intervened and solved the problem. He is the Prime Minister of the entire country. Under his stewardship, this dispute has been amicably settled. No TMC feet and other things have been mentioned. The important thing is, "...to make good the deficit in inflow into Mettur Reservoir for the month of June, within the next 30 days. Similarly, Government of Tamil Nadu would endeavour to make available the required quantities of water to Pondicherry." Therefore, this water dispute has been settled amicably. I hope this type of amity would exist between the State of Bihar and the new State of Jharkhand. With these words, I conclude.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If a Member belonging to a political party from Tamil Nadu is speaking, is it incumbent on the part

of the other Member belonging to another political party to get up and speak? Is it a compulsion? I don't understand. Please let me know, so that I will always make some provision, when both of you are speaking on any business in the House.

Secondly, I have another point, Mr. Virumbi. Does the Cauvery river water has to flow to the Rajya Sabha on every Bill?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, yesterday, it was referred to. That is why I have replied. ....*(Interruptions)*.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whenever I drink a glass of water, I feel, the Cauvery river water is flowing over here because the mention of water is a very sensitive issue in this House.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Madam Deputy Chairperson, perhaps, my number is twentieth or twentyfirst or last; I do not know.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Twenty-third.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA : Twenty-third! Thank you very much. I am also tending to misplace my points which I thought of placing before the House. Unfortunately, I am also in a nurry to leave. So, I will try to be extremely brief. Incidentally, I will be sounding a little anti-climax. Regarding the division of assets and liabilities of Bihar, I will try to address to this problem in accordance with the Bill, but in a different way. In fact, yesterday, when the hon. Home Minister, Shri L.K. Advani, was replying on the Uttar Pradesh Reorganisation Bill, he said, "People in certain parts are jubiliant. There is a mass upsurge of the common people in Uttaranchal and in different places, including Chattisgarh." So far as mass upsurge is concerned, I am sorry, I cannot agree with Shri Advaniji. The mass upsurge is not because of formation of separate States. This mass upsurge is a stage-managed mass upsurge. In fact, this sort of fragmentation of States will not help the common people of the country who are languishing in severe poverty, who are languishing because of lack of educational programmes, because of problems of health, because of shelterlessness or homelessness. The people are suffering, irrespective of their State, irrespective of their region,

irrespective of any corner of the country. The people are agitated because of that. The common people of those areas are anguished and agitating not for separate statehood. They are, in fact, dismayed since their long-standing, basic, democratic, aspirations have been completely belied by the hitherto Governments of our country. It is a shame even on my part to say that even after 53 years of Independence of this country, millions of people of this country have been completely deprived of the basic amenities of living. I am not convinced, in any way, that only by forming separate States--be it Uttaranchal, be it Chhattisgarh, be it Jharkhand--these problems of the common people, these problems of the poverty-stricken people, will be taken care of. In fact, the founding fathers of our Constitution were aware that several provinces, regions and areas of India were economically and industrially far behind relatively to others and there were great economic disparities. The problem of economic integration had many facets. I would refer only to two facets.

The question stood out first was, how to achieve the federal economic and fiscal integration so that the economic policies affecting the interests of the people as a whole could be carried out, without putting an ever-increasing strain on the unity of India, particularly, in the context of a developing economy. The second one was the question how to foster the development. The hitherto Governments of India have utterly failed to address these basic problems of our Constitution. And now, the vested interests, political touts, are trying to deceive the people further by fragmenting the country into pieces, by taking the common people for a ride. Here, I would like to sound a word of caution. These are not going to help the common people, the poor people, to have two square meals, to have a guarantee for education, to have a guarantee for health, to have a guarantee for home. Instead of addressing the basic problems, we are trying, our Government of India is trying, through this sort of Bills, to perpetrate further the deceit on the people, as if it is only the formation of Jharkhand or Uttaranchal or Chhattisgarh that will fulfil the aspirations of the common people. So, Madam, even though I, personally, or my party, RSP, is not opposed to the right of self-determination of nations, this is not the way of advancing the basic problem of self-determination of people. We should, even on this occasion, vouch to

ourselves that we shall be sincere in our approach insofar as the development of the people of the country is concerned. Particularly, in Bihar, the geo-political and geographical problems are also to be taken into consideration, as has been pointed out by many hon. Members in this House. There is North Bihar, Central Bihar and South Bihar. These are altogether different. One is industrially developed and the other is absolutely backward. The backwardness is absolute. It is not only backward, but the backwardness is absolute, and when Bihar is being fragmented into two, all the industries, all the revenue earnings are going to one side, and on the other side, there are poverty-stricken people, where the density of the population is maximum in the world, perhaps. So, these points are to be considered, and the economic package, what the Bihar State Assembly has mooted, or what our friends have already mooted in this House, those should be looked into very seriously, because I personally feel, and I am convinced that this Bill is going to be passed, whether I oppose it or not. So, I submit that certain amendments are required to be made in so far as the economic package is concerned, certain thoughts are to be given in so far as the development of North Bihar and Central Bihar is concerned. With these words, Madam, I once again thank you very much. Now, don't ring the bell once more because I am in a hurry. I want to leave. I once again request the hon. Home Minister to kindly look into these matters very seriously. I have also moved an amendment. That amendment has to be considered.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. If you are not moving the amendment, we may not consider it. If you want your amendment to be considered, then you have to move it and wait. You cannot have your cake and eat it also.

*MISS FRIDA TOPNO (Orissa): Madam Deputy Chairman,I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on Bihar Reorganisation Bill, 2000.My previous speakers have very elaborately spoken on the subject. I don't want to repeat what my previous

---

*English translation of the original speech delivered by Hon'ble Member in Oriya.

speakers have already spoken. Madam, while I thank the honourable Prime Minister and Home Minister for the creation of a separate Jharkhand State I also request them to return the former princely state of Saraikala and Kharsuan which were parts of Orissa till 1948. Majority of the people living in these two areas speak Oriya language. At the time of the merger of feudatory states with Orissa the opinion of their Rulers were taken into consideration. The then rulers of Sareikala and Kharsuan agreed to merge with Orissa. Geographically due to the existence of Mayurbhunj an independent princely state between Sareikala, Kharsan and of Orissa, the administrative responsibility of these areas were temporarily given to Bihar. But unfortunately when Mayurbhanj merged with Orissa in 1949, Sareikala and Kharsuan still remained with Bihar. Some top-ranking leaders of Bihar did not allow Sareikala and Kharsuan to merge with Orissa when the geographical barrier was removed in 1949. There had been agitation in different places and at different times in Orissa for getting back Saraikala and Kharsuan. Many people like Benga Pania and Sunil Dey have sacrificed their lives for this cause. Today the State of Bihar is being reorganized. A new state Jharkhand is being created. I strongly demand the return of Saraikala and Kharsuan to Orissa. The Orissa Legislative Assembly has unanimously resolved urging the Government to return Saraikala and Kharsuan to Orissa. Utkal Sammelani and other organisations are still agitating for fulfilling the rightful demands of Orissa in this respect. While supporting the Bihar Reorganisation Bill, 2000. I storngly demand that the two areas of Saraikala and Kharsuan be returned to Orissa.

Madam, Jharkhand will be a tribal dominated State. The people of the tribal communities are generally innocent and backward. They have been oppressed by the people of the upper caste for centuries. As a tribal member of this august House, I wish to point out that an able Tribal person should be selected as the Chief Minister of this new State. This will boost the morale of my tribal brothers and sisters.

Madam, I take this opportunity to congratulate the people of the newly-created Jharkhand state and I also pay my homage to the people who have laid down their lives for the cause.

Presently the House Committee of Orissa Assembly are here to meet the Prime Minster and Home Minister and other central leaders to find out a solution to this problem in a constitutional and legal way. Madam, while hoping for a speedy solution to this old problem I thank you for allowing me to participate in the discussion on the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The discussion is now concluded. The Home Minister may reply.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदया, आज तीसरे दिन हम एक राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा करके उसे पारित कर रहे हैं। यह विधेयक जिन क्षेत्रों से संबंधित है निश्चित रूप से उनके लिए तो इतिहास बन रहा है, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के लिए। लेकिन अपने लम्बे संसदीय जीवन में मुझे स्मरण नहीं है इस प्रकार के तीन महत्वपूर्ण विधेयक दो सप्ताह में लगातार, एक सप्ताह में लोक सभा में तीनों विधेयक पारित हुए और दूसरे सप्ताह में तीनों विधेयक इस सदन से पारित हुए। यह संसद का भी एक प्रकार का इतिहास बन रहा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों सदनों के सभी सदस्यों को और सभी दलों को। जिन दलों ने समर्थन किया है और जिन दलों ने समर्थन करते हुए भी अपनी-अपनी कुछ शंकाएं प्रकट की या कुछ रिजर्वेशन्स प्रकट किए, सभी को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि संसद की व्यवस्था इसी रूप में चलती है तो सबसे अधिक लाभकारी देश के लिए हो सकती है क्योंकि उसमें से रचना ही निकलती है। अब जैसे आज की कोई चर्चा सुनेगा और उसने कल और परसों की चर्चा सुनी होगी तो उसने उसमें अंतर पाया होगा, जिस अंतर को कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। परसों छत्तीसगढ़ का जब हमने विधेयक पारित किया मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम बना तो सबने इस बात को स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आनंद की लहर दौड़ रही है। बैरागी जी या बाकी लोग जो मध्य प्रदेश भाग से हैं, जो छत्तीसगढ़ से नहीं हैं उन्होंने भी मन का संतोष प्रकट किया कि उनकी विधान सभा ने जो प्रस्ताव संसद के पास भेजा, जो केन्द्रीय सरकार के पास भेजा, वह मूर्त रूप प्रकट कर रहा है। एक जगह पर उल्लास था, दूसरी जगह संतोष था क्योंकि उत्तरांचल के समय में भी यही बात थी कि एक जगह उल्लास था, आनंदातिरेक था। आज प्रात:काल भी मेरे पास उत्तरांचल के लोग आए, जब राज्य सभा में पास हो गया तो कहा कि हमारा बिल पास हो गया। लेकिन बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें से कहीं-कहीं से रिजर्वेशन भी प्रकट किए होंगे, किसी क्षेत्र के बारे में, लेकिन कुल मिलाकर संतोष था। आज अंतर यह है कि एक तरफ तो मैं आपको कह सकता हूं कि झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड की जनता में उतना ही उल्लास है, उतना ही संतोष है, उतनी ही खुशी है जितनी छत्तीसगढ़ में थी या उत्तरांचल में थी। लेकिन जो बाकी बिहार में हैं उनको तो संतोष होगा जिन -जिन लोगों ने इसके लिए प्रयत्न किया, हमारी विधान सभा की इच्छा, बिहार की इच्छा पूरी हो गई और केन्द्र तथा संसद ने उसको माना तथा एक और नया राज्य बनाया। लेकिन उस संतोष के साथ मिश्रित एक चिंता का भाव है कि क्या होगा? यह

जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से हमको इतना रेवेन्यु मिलता था, वहां पर खनिज पदार्थ थे, वहां पर रिसोर्सेज थे इसलिए रायलटी मिलती थी। जो रॉयल्टी बिहार को मिलती थी वह अब झारखण्ड को मिलेगी, बिहार को नहीं मिलेगी। बिहार के क्षेत्र में जिस प्रकर की बाढ़ बार-बार आती है, हर साल आती है उसका परिणाम क्या होगा, इसीलिए सभी ने किसी न किसी रूप में पैकेज की बात कही, वित्तीय सहायता की बात कही। इन तीनों में जो अंतर है उसे सरकार ने यहां चर्चा होने से पहले ही पहचान लिया। यदि कोई देखेगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन्स एण्ड रीजन्स की तुलना करेगा तो पाएगा एकमात्र बिहार का ही ऐसा विधेयक है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शनस एण्ड रीजन्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि "The Government has set up a unit in the Planning Commission under the direct charge of the Deputy Chairman, Planning Commission, to deal exclusively with matters relating to the development of the rest of Bihar". झारखण्ड की चिंता नहीं है। जब उन क्षेत्रों के बारे में सोचते थे तो लोग कहते थे छत्तीसगढ़ को अपनी नई राजधानी बनानी पड़ेगी, नया हाई कोर्ट बनाना पड़ेगा इसलिए उन्हें सहायता देनी चाहिए। उत्तरांचल के बारे में जिसने भी बोला यह कहा कि बहुत अच्छा हो रहा है, यह छोटा सा राज्य है लेकिन उस राज्य के पास अपने संसाधन तो कम हैं। यहां तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत संसाधन होंगे लेकिन जो संसाधन नहीं हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एकमात्र विधेयक है जिसमें छह करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में से सवा दो करोड़ की जनता को अलग किया है। चिंता सवा दो करोड़ की नहीं है बल्कि चार करोड़ वाले बड़े प्रदेश की है, यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शनस एण्ड रीजन्स में है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शनस एण्ड रीजन्स छोड़ दीजिए मैं आपके सामने मंत्रिमंडल का निर्णय पढ़कर सुनाता हूं, जिसका मुझे अधिकार भी है। जब हमने विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय किया तो मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि "In view of certain normative economic factors that would operate in the remaining State of Bihar"--हमने उसमें झारखण्ड की बात नहीं की है--"consequent upon the formation of a new State of Jharkhand, a dedicated unit may be set up in the Planning Commission to deal exclusively with Bihar under the direct charge of the Deputy Chairman, Planning Commission". डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन पर सारे देश की जवाबदारी होगी। उन पर यह एक खास जवाबदारी भी डाली जाती है कि वे इस बिहार प्रदेश के लिए चिंता करें और एक डेडिकेशन सैल का स्वयं अध्यक्ष बनें। "This unit will inter alia ensure"--क्या एनश्योर करेगा--"that with the help of better financial management and adequate devolution of funds from the Centre"--आखिर डिवेलयूशन फंड्स फ्रोम दि सेंटर का मतलब तो पैकेज ही होता है। आपने जो एकाउंट बनाकर विधानसभा से भेजे उनका हमने अपने पैकेज में जिक्र नहीं किया लेकिन हमने स्वयं को कमिटड किया कि यह जो राज्य बनेगा उसमें ठीक प्रकार से मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए--"multi-faceted development of the region takes place, especially, with respect to core infrastructure" एक प्रकार से यह सरकार का कमिटमेंट है। हम

इस तथ्य को पहचानते हैं कि नया राज्य गठित करने के बाद जो शेष बिहार होगा वह निश्चित रूप से भले ही बड़ा राज्य है तो भी उसकी अपनी कठिनाइयां होंगी, वित्तीय दिक्कतें होंगी और उन वित्तीय दिक्कतों का केंद्र प्लानिंग कमीशन के माध्यम से और प्रोपर डेवेल्यूशन ऑफ फण्ड्स के माध्यम से उनका निवारण करेगा। मैं समझता हूं कि यह काम पहली बार किया गया है ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा समझ में आता है। मैं इस चीज में नहीं जाता कि झारखण्ड के लोग, जैसा कि आर.एल.आनन्द जी बोले कि हमारे यहां इतना सब कुछ होते हुए भी प्रगति नहीं हुई। बढ़ा नहीं, विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला। अब मैं इस बात को मानूंगा, अभी सीपीआई(एम) की बहन बोली, आरएसपी के मेंबर बोले कि The formation of a State cannot be a substitute for good governance, for able administration and for honest administration. उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं हो सकता। मैं जब उनका पूरा भाषण सुन रहा था, चंद्रकला पांडेय जी का, वह बहुत अच्छा भाषण था। लेकिन अच्छा भाषण होते हुए भी जो तर्क था वह तर्क ऐसा था जो किसी भी विषय पर दिया जा सकता है। जिसमें प्रशासन को ठीक करने की कोशिश होती है या लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश होती है तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या यह क्या सारी व्यवस्था कर रहे हैं। एम.पी. के लिए यह कर रहे हैं, एम.एल.ए. के लिए यह कर रहे हैं या पंचायतों के लिए यह कर रहे हैं तो क्या लोकतंत्र को मजबूत करने से भोजन पूरा हो जाएगा, कोई विकास हो जाएगा। All the steps taken in the direction of strengthening democracy or good governance or good administration are contrary to development. ऐसा नहीं है। इसलिए मैं तो सोच रहा था जिस समय लिंग्विस्टिक स्टेट बन रहे थे, तो लिंग्विस्टिक स्टेट के समय न केवल सीपीआई ने बल्कि सीपीएम ने भी उसका समर्थन किया था। समर्थन करते हुए क्या कहा था कि आप आंध्र बना रहे हैं या आप पश्चिमी बंगाल बना रहे हैं या महाराष्ट्र बना रहे हैं तो क्या उससे लोगों की भूख मिट जाएगी। आप गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को अलग अलग बनायेंगे उससे स्वाभाविक रूप से खर्चे बढ़ जायेंगे। उसके कारण आपको दो-दो मंत्रिमंडल बनाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो बंबई प्रेसीडेंसी थी। बहुत अच्छा होता अगर वह वैसी ही बनी रहती। गुजरात बनाने पर आप जो खर्चा कर रहे हैं वह आप कुयें खुदवाने पर लगा दो तो वह ज्यादा अच्छा होगा। These arguments sound very impressive. लेकिन जो व्यक्ति डेमोक्रेसी के महत्व को समझता है और ठीक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप बनाने के महत्व को समझता है तो वह इसकी कीमत भी देने के लिए तैयार होता है। बड़ा जिला बना दो इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम हो जायेंगे। अगर तीन जिले बनेंगे तो उसमें तीन-तीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखने पड़ेंगे, खर्चा अनावश्यक हो जाएगा। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि वाइबिलिटी देखनी पड़ती है। लेकिन वाइबिलिटी को देखते देखते हम केवल मात्र खर्च की बात करेंगे तो फिर हम कई चीजों में गलत दिशा में चले जायेंगे। इसलिए बहुत अच्छा भाषण होते हुए भी मुझे लगता है कि उसमें यह दोष था। आरएसपी के हमारे मित्र जो बोल रहे थे, शायद इसी कारण वे सीपीआई के लोगों को भी कन्विंस नहीं कर सके, जिन्होंने वर्षों से झारखंड को भी देखा है और उत्तराचंल को भी देखा है। जैसा मैंने कल

4.00P.M.

कहा जिन दिनों कांग्रेस पार्टी और हमारी पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं वे भी उत्तराचंल का समर्थन नहीं करती थी तो उस समय भी सीपीआई के लोग उसका समर्थन करते थे।

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): वह अलग जमाना था और यह अलग जमाना है।

श्री टी.एन. चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): हां, यह अलग जमाना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, अलग जमाना है। मैं सब से सीखने के लिए तैयार हूं। मैं तो सीपीआईएम से भी सीखने के लिए तैयार हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको संकोच होता है। आप बीजेपी को छू तक नहीं सकते। आपके लिए हम अनटचेबल हैं। लेकिन हमारे लिए आप भी अनटचेबल नहीं हैं। हम सबसे सीखते हैं।

इसलिए पहली बात जो इस सारी बहस से निकली उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस रामय हम संसद की ओर से झारखंड राज्य बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसका वहां पर संतुलित विकास हो। ऐसा विकास हो जो वर्षों से नहीं हुआ है। इसमें हमारे मन में यह भी चिंता है कि बिहार प्रदेश बाकी जो बचा है उसके विकास में भी कोई कमी न आए। उसका विकास भी लगातार होता रहे। दोनों का मिलकर विकास होगा तो हमें संतोष होगा। झारखंड का विकास करने के लिए अगर बिहार का विकास अवरुद्ध होता है या उसको क्षति पहुंचती तो उचित नहीं होगा, गलत होगा। हम इस दिशा में कुछ करेंगे।

उड़ीसा के जितने लोग थे, उन्होंने प्रायः एक ही बात बोली। उन्होंने झारखंड की बात का समर्थन किया। लेकिन अनिवार्य रूप से उन्होंने एक बात कही और उसमें खासकर जब मैंने दास जी को सुना तो मुझे लगा कि आज से पचास साल पहले कोई अन्याय उड़ीसा के साथ होता है तो उसका दोष आज के गृह मंत्री को कोई दें तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं इसके लिए कैसे उत्तरदायी हो सकता हूं? लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जिस समय हमारे एन.डी.ए. ने यह निर्णय किया था कि हम झारखंड बनाएंगे तो उस समय भी कोई मेरा ध्यान दिलाता कि वर्षों से उड़ीसा की जनता के मन में यह बात रही है कि यह जो दो हिस्से सरायकिला और खर्सवां हैं, यह बिहार में 1948 में चले गये, जो वहां नहीं जाने चाहिये थे, यहां आने चाहियें थे। उस समय मैं स्टडी करता कि मामला क्या है। मुझे नहीं पता, मैं तो इतना ही जानता था कि बिहार प्रदेश है और उसमें दो हिस्से बनने चाहिये, नीचे का हिस्सा संथाल परगना, छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड के रूप में बनाएं। मैंने कभी सरायकिला और खर्सवां का मामला सुना ही नहीं। उड़ीसा के लोग जानते होंगे, सुविज्ञ लोग जानते होंगे, मैंने नहीं सुना था। मुझे जानकारी नहीं थी। इसीलिए जब इसकी चर्चा आई, इन्हीं दिनों में आई। मेरे अपने साथियों ने भी मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने भी बताया होता। पंडा जी बैठे हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि शिकायत मेरी है तो आपसे है, आपके नेताओं से है। ...**(व्यवधान)**... In those days, if they had met me, then I would have told them what I tell my other friends from Haryana and Punjab. Haryana and Punjab have a problem in respect

of Chandigarh. They have problems in respect of many other areas also. The ruling parties in both Haryana and Punjab belong to the NDA. Therefore, even in the first meeting, I told them, "Let us understand that this National Democratic Alliance is an alliance of a nature which cannot sort out inter-State problems unless the two States themselves agree to a common solution. We can only draw a common programme to which both the States can agree. उस समय मुझे कोई उड़ीसा वाला कहता तो मैं उनसे पूछता। बिहार में तो हमारा राज नहीं है। पिछले 50 साल तक यह समस्या रही है और 50 साल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब बिहार और उड़ीसा में एक ही पार्टी की सरकारें रही हों, तब भी उनका हल नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**... मुझे उड़ीसा का आकर्षण हो गया। पंडा जी का ध्यान आ गया। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने जा कर के स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट निकाली और उसको पढ़ने की कोशिश की। मैं उसको यहां इसलिए नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं पढ़ कर उसको रिकार्ड पर डालता हूं तो एक प्रकार से स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमीशन का अनुमोदन सा कर रहा हूं। मैं नहीं करना चाहता। स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमीशन को आपकी ओर से जो ज्ञापन दिया गया, उसमें यह बात कही गई कि दोनों क्षेत्र उड़ीया स्पीकिंग हैं और वह यहां आने चाहियें और उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स दिये हैं कि क्यों वे स्वीकार नहीं करते। हो सकता है कि उनके आर्गुमेंट सही न हों और आपके साथ अन्याय हुआ हो। मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं आज इतना कहने की स्थिति में हूं कि नया राज्य झारखंड बनेगा और झारखंड राज्य जो होगा, उसके जो भी नेता होंगे, जो भी विधान सभा के सदस्य होंगे उनके नेता और आपके नेता, उड़ीसा के नेता आज जो हमारे एन.डी.ए. के सदस्य हैं, दोनों बैठ कर के मिल कर के देखें कि छोटा सा इलाका है, कांटीग्युटी है या नही, मैं नहीं जानता। ...**(व्यवधान)**... शिबू सोरेन जी कहते हैं कि कांटीगुयस नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए भी नहीं हैं। मैं नहीं जानता। इसलिए मैं इस पर कमेंट भी नहीं कर रहा हूं। मैं पढ भी नहीं रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि इन्होंने अस्वीकार किया है आपका दृष्टिकोण उन्होंने अस्वीकार किया है, हो सकता है कि उनकी इनफारमेशन सही न हो लेकिन उस इनफारमेशन को अगर करेक्ट करना है तो उसका क्या तरीका है? कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यह ताकत है - किसी सदस्य ने बोलते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो करना चाहे कर सकती है, नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी जब सारे देश पर छायी हुई थी, इतनी ताकत थी तब भी वह नहीं कर सकती थी। दोनों राज्यों को मिला करके बातचीत करवानी होगी और बातचीत करके उसका हल निकलवाना होगा। उसमें केन्द्र जो सहायता कर सकेगा जरूर करेगा, इतना मैं कह सकता हूं और यह कोई प्रसंग ही नहीं है। This is not the occasion और यह मैं नहीं मानता हूं कि This is the last occasion for correcting an injustice। 50 साल पहले जो अन्याय हुआ उस अन्याय का दोष आप वाजपेयी जी की इस सरकार को दें यह स्वयं में अन्याय होगा। यह अन्याय मत करिए। मैं इतना ही कह सकता हूं। हम चाहेंगे कि ...**(व्यवधान)**...

DR. M. N. DAS: Sir, this injustice has been there for the last so many years. ...*(Interruptions)*... It is high time it was corrected.

SHRI L.K. ADVANI: I do not know. I am in no position to say. Das Saheb, you do justice to me. मैं पहली बार सुन रहा हूं in the last fifteen days और उस दिन मेरे पास सारे सांसद आ गए। Simply because they belong to my alliance, therefore, I do injustice to Bihar; I can't do it. I do not know. It may be quite correct, but I do not know. हां, लिंग्विस्टिक माइनारिटीज जहां पर भी है - उड़िया के लोग, उड़िया भाषी कितने भी हों, दिल्ली में कितने भी हों उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनका अगर स्कूल नहीं खुलता है तो यह कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन उसका मतलब है कि वे लिंग्विस्टिक माइनारिटी हैं वहां पर। उनकी मेजारिटी वहां पर है कि नहीं उस क्षेत्र में मुझे पता नहीं है और अगर अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के परिमार्जन का कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय इसके कि दोनों राज्यों के प्रमुख और दोनों राज्यों के प्रधान बैठ करके चर्चा करके हल निकालें। हम इस दिशा में प्रयत्नशील होंगे, हम कोशिश करेंगे, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। महोदया, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत है सिवाय इसके कि अब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये विधेयक पास हो जाएंगे, विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे स्वीकृति के लिए और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी उसके बाद कितना समय लगेगा? उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से होगी, राज्य कैसे बनेंगे? यह जो हमारा विधेयक है उसमें मोटे तौर पर इस बात का भी संकेत है कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं आज बताना चाहता हूं कि इसमें सेक्शन 2ए है। उसमें डिफिनीशन में एप्वाइंटेड डे है। वह बहुत क्रूशियल है। सरकार को एप्वाइंटेड डे तय करना होगा और एप्वाइंटेड डे का, उसका नोटीफिकेशन उस दिन से कम से कम 7 दिन पहले होगा। वैसे तो एक महीना पहले भी प्रकाशित हो सकता है लेकिन वह घोषित किया जाता है कि यह एप्वाइंटेड डे है जिसका मतलब है उस दिन से लेकर छत्तीसगढ़ बन जाएगा, उस दिन से लेकर उत्तरांचल बन जाएगा, उस दिन से लेकर झारखंड बन जाएगा। उस दिन से पहले क्या क्या कुछ होगा? उस क्षेत्र की जो प्राविजनल विधान सभा होगी वह अपना नेता चुनेगी, राज्यपाल होगा, हाईकोर्ट होगा, प्राविजनल कैपिटल होगी। ये सारी चीजें जो हैं उससे पहले तय हो जाएंगी। उस दिन से लेकर आपरेशन में आ जाएंगी। मैं अपने मंत्रालय में जो विभाग इसको डील करता है उससे सारा डिसकस करके इतना ही कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि सामान्यत: यह हमारा अभी इस बार का जो अधिवेशन संसद का है यह 25 अगस्त को समाप्त होगा और अगला अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन नवम्बर के मध्य में कहीं होगा, नवम्बर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होता है और हमने जो सारा शिड्यूल बनाया है इन तीनों राज्यों के गठन का उसके अनुसार मुझे उम्मीद है कि एक नवम्बर से पहले ये तीनों राज्य बन जाएंगे। एक प्रकार से संसद द्वारा इन क्षेत्रों की जनता को दिया हुआ वचन पूरा हो जाएगा। इस वचन की पूर्ति अगर हो सकी है तो इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश न करे। उसका श्रेय पूरा का पूरा संसद को है। सब पोलिटिकल पार्टीज को है और प्रमुख रूप से सरकारी पार्टी को है और प्रमुख विरोधी दल को है। यह मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कोई संकोच नहीं है।

मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और उन क्षेत्रों की जनता को आप सबकी ओर से और अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से अपने एलायंस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कि केवलमात्र राज्य बनना वह तो केवल एक द्वार का खुलना है। इस राज्य के बनने के बाद आप प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं और उस क्षेत्र का पूरा विकास हो, यही मेरी शुभकामना है।

श्री टी.एन. चतुर्वेदी : मैडम की भी शुभकामनाएं शामिल हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : मेरी शुभकामनाएं तो इसलिए हो गईं कि साधारण तरीके से, बगैर किसी झगड़े के, जो विवाद थे वे भी डिसकस हो कर पूरे हुए और यही हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। मैं उम्मीद करती हूं कि आईंदा भी इसी तरह से, हमारे जो लेजिस्लेशन आएं, उन पर अच्छी प्रकार से चर्चा हो, तो सब की भावनाएं रेकार्ड हो सकेंगी।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): Madam, I listened with great attention to what the Home Minister has said about the problems that the State of Bihar will face as a result of the passage of this Bill. The hon. Minister has referred to the aims and objects and said that a Cell will be created in the Planning Commission. I welcome that. He also said that there are indeed special problems that the remaining State of Bihar will face, and through better financial management and devolution, these problems will be taken care of.

Madam, as far as better financial management is concerned, I think we all agree that all States have an obligation to improve their economic and social management. But as regards devolution, if I understand the meaning of the term 'devolution', that has a special connotation and it is normally applied to devolution as fixed by the Finance Commission. The Eleventh Finance Commission has already reported. I assume that the hon. Home Minister has something more in mind, that special arrangements will be made to support actively the development of the remaining State of Bihar. I would urge the hon. Home Minister to assure us that this indeed, is his intention.

SHRI L.K. ADVANI: Let me make it clear the reference to devolution because I was quoting from the decision of the Government लेकिन जो भाव है, वह यह है कि विशेष रूप से वित्त संबंधी ध्यान बिहार प्रदेश की ओर दिया जाएगा और special financial attention would be paid to the rest of Bihar.

SHRI B.J. PANDA: Madam, I take heart from what the hon. Home Minister has said; perhaps, this is not the last opportunity for this historical injustice to be corrected. But I just wanted to put on record one thing. The contiguity of Seraikela and Kharswan with regard to Orissa. has been questioned..*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let it be clarified by the Home Minister.

SHRI B.J. PANDA: Madam, there is contiguity through the area known as Tiring directly to Seraikela, and for Kharswan, it is through Tiring. It is just for the record.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall first put the amendment moved by Shri B.J. Panda for reference of the Bihar Reorganisation Bill, 2000 to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the amendment moved by Shri Birabhadra Singh for reference of the Bihar Reorganisation Bill, 2000 to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The motion was negatived

THE DEPUTY CHAIRMAN: I now put the motion for consideration of the Bill to vote.

The question is:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Bihar and for matters connected therewith, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are a number of amendments on clause 3. There is Amendment No.1 by Dr. M.N. Das, Amendment No.2 by Shri B.J. Panda, and Amendment No.8 by Shri Dilip Ray; he is not here and let us not bother about it. Let me ask whether people would like to move them. Mr. Das, are you moving your amendment or withdrawing it?

DR. M.N. DAS: Madam, I am moving it. But before the vote takes place, kindly permit me to withdraw from the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are moving the amendment and withdrawing it both together? Are you moving yourself away or you are moving the amendments? *(Interruptions)* Just a minute, Mr. Das, are you moving your amendment or withdrawing it?

DR. M.N. DAS: I would like to move it. After that I move myself away from this House. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: For the first time I am coming across with such a situation. It is a self-contradictory statement. This is a new experience for me too. (Interruptions) Mr. Panda, how about you?

SHRI B.J. PANDA: Madam, we are staying for the voting. If the amendment is not passed, then we will withdraw from the House.

CLAUSE 3 - Formation of Jharkhand State

DR. M.N. DAS: Madam, I beg to move:

(No.1) That at page 2, line 28, after the words "districts" the words "except the two former feudatory states of Orissa, namely Seraikella and Kharasawan, now in West Singhbhum, which are to merge with the State of Orissa" be *inserted.*

SHRI B.J. PANDA: Madam, I beg to move:

(No.2) That at page 2, lines 27-28, *for* the words and brackets "Singhbhum (East) and Singhbhum (West)" the words and brackets "Singhbhum (East) excluding Saraikella (ST) Assembly constituency and

Singhbhum (West) excluding Kharasawan (ST) Assembly constituency" be *substituted*.

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I now put amendments, No. 1 and 2, by Dr. M.N. Das and Shri B.J. Panda to vote.

(Amendments No. 1 and 2 were negatived)

Clause 3 was added to the Bill.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

Clause 4 was added to the Bill.

CLAUSE 5 - Amendment of First Schedule to the Constitution

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments, No. 20 and 21, by Shri L.K. Advani.

SHRI L.K. ADVANI: Madam, I beg to move:

(No.20) That page 2, line 39, *for* the figure "25" the figure "27" be *substituted*.

(No.21) That at page 2, line 40, *for* the figure "26" the figure "28" be *substituted*.

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

CLAUSE 7 - Amendment of the Fourth Schedule to the Constitution

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shri L.K. Advani.

SHRI L.K. ADVANI: Madam, I beg to move:

(No.22) That at page 3, line 6, *for* the figures, "'27' and '28'" the figures "'29' and '30'" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 11 were added to the Bill.

CLAUSE 12 - Provision as to Leslative Assemblies

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are three amendments, by Shri L.K. Advani.

SHRI L.K. ADVANI: Madam, I beg to move:

(No.23) That at page 3, line 39, *for* the figures "'10, '25', '11' and '26'" the figures "'11', '27', '12' and '28'" be *substituted.*

(No.24) That at page 4, line 1, *for* the figure "9" the figure "10" be *substituted.*

(No.25) That at page 4, line 2, *for* the figure "10" the figure "11" be *substituted.*

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clauses 13 to 47 were added to the Bill.

Clause 48- Public Debt

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment (No.9) by six Members. Bhandaryji, are you moving?

श्री रामदेव भंडारी : मैडम, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

(9) पृष्ठ 11, पंक्ति 24 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

'विद्यमान बिहार राज्य के लोक ऋण और लोक खाते जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: माफ कर दिए जाएंगे।'

महोदया, अभी मैं गृह मंत्री जी को सुन रहा था। उन्होंने शेष बिहार के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, वह सही है और उचित है और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। महोदया, मुझे अमेंडमेंट इसलिए लाना पड़ा क्योंकि गृह मंत्री जी जब छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल विधेयक पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि विधान सभा का प्रस्ताव और जनता की आकांक्षा, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसी राज्य के पुनर्गठन में

ली जाती हैं। यह सही है कि झारखंड की जनता की इच्छाओं को उन्होंने ध्यान में लिया है, मगर शेष बिहार की जो जनता है, जो कि सम्पूर्ण बिहार की 70 प्रतिशत है, उसके साथ झारखंड अलग हो जाने के बाद ऐसी स्थिति बन रही है जैसे कि शरीर में से हृदय को निकाल देने के बाद शरीर की बनती है। बहुत ही अच्छा संतुलन था उत्तरी और दक्षिणी बिहार का - उत्तरी बिहार कृषि क्षेत्र है और दक्षिणी बिहार, जो झारखंड के नाम से आज एक नया राज्य बन रहा है, वहां सारे मिनरल्स हैं, बड़े-बड़े उद्योग, बड़े-बड़े कारखाने, जल और ताप के बड़े-बड़े बिजली घर हैं। मेरी चिंता स्वाभाविक है कि अब उत्तरी बिहार का क्या होगा जब दक्षिणी बिहार उसमें से निकल जाएगा। इसलिए, महोदया, बिहार विधान सभा से जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके परिप्रेक्ष्य में मैं यह संशोधन लाया हूं और मैं फिर एक बार गृह मंत्री जी से अपनी चिंता व्यक्त करता हूं, बिहारवासियों की चिंता व्यक्त करता हूं। हमारे जो हाऊस में लीडर्स हैं - रंजन प्रसाद यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, अहलुवालिया जी, इन सब लोगों ने जो शेष बिहार के बारे में चिंता व्यक्त की है, उनके साथ अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैं पुनः उनसे कहना चाहता हूं कि 31,000 करोड़ रुपए का कर्जा बिहार पर है और रंजन प्रसाद यादव जी ने कहा है कि 2,000 करोड़ रुपए हर साल बिहार को सूद देना पड़ता है, जिसमें झारखंड का भी हिस्सा होगा। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप अभी झारखंड को एक नया राज्य बनाने जा रहे हैं, राज्य बनाते ही उस पर कर्जा मत लादिए और शेष बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कर्जा आप माफ कर दें। मैं केन्द्र सरकार से और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कर्जे को माफ कर दें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह हमारे सभी माननीय सदस्यों ने भी कही है, वह 1,79,900 करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह पैकेज आप बिहार को नहीं देंगे तो बिहार कभी भी, जो उसकी स्थिति है उससे उबर नही सकेगा बल्कि दिन-ब-दिन उसके हालात बद-से-बद्तर होते चले जाएंगे। मैं उत्तरी बिहार के मधुबनी जिले से आता हूं। नेपाल से जो बड़ी-बड़ी नदियां आती हैं - कोसी, कमला, गंडक, महानंदा, उनमें से एक नदी मेरे गांव से होकर जाती है। मुझे अनुभव है कि हर साल जब बाढ़ आती है तो उस गांव में और उस गांव के इर्द-गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, उनको चिंता होती है कि अब बाढ़ आने वाली है, हम कहां रहेंगे, हमारे घर का क्या होगा? महोदया, यह जल जमाव का मामला, यह बाढ़ का मामला पूरे उत्तरी बिहार में है और इसका समाधान करने के लिए बहुत बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि जो आर्थिक पैकेज है, उस पैकेज को आप निश्चित रूप से कंसीडर करें। अगर आप उत्तरी बिहार के लोगों का भला चाहते हैं तो इसे जरूर कंसीडर करें। हमने झारखंड के लिए भी एक संशोधन दिया है। चूंकि अब झारखंड एक नया राज्य बनने जा रहा है, इसलिए एक लाख करोड़ रुपए की राशि आप झारखंड को भी दें क्योंकि यह जो नया राज्य बनेगा, इसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए झारखंड राज्य को एक लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी ...

एक माननीय सदस्य : इतना पैसा कहां से आएगा?

श्री रामदेव भंडारी : सब हो जाएगा, केवल मन बनाने की जरूरत है। सरकार मन बनाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बिहार राज्य पहले से ही पिछड़ा हुआ राज्य है, अब जो शेष बिहार है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : आपके वित्त मंत्री भी तो बिहार के हैं, उनसे सीधे बात कर लीजिए।

श्री रामदेव भंडारी : महोदया, मैं तो अपने राज्य की चिंता कर रहा हूं। हमारा बिहार पहले से ही एक पिछड़ा हुआ राज्य रहा है और अब तो मुझे लगता है कि वह सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य हो जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जब तक उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती है, तब तक बिहार की प्रगति और विकास के लिए 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार को देनी चाहिए और 10 प्रतिशत राशि सहायता के रूप में देनी चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : भंडारी जी, घोटाले भी कम होने चाहिए।

श्री रामदेव भंडारी : घोटाले कम होंगे, चिंता मत करिए। आपको बिहार में घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं। उत्तरी बिहार अब पूर्ण रूप से कृषि प्रधान होगा। एक उद्योग जो उस प्रदेश में, शेष बिहार में फल-फूल सकता है वह है चीनी उद्योग। अभी बिहार में चीनी की 18 मिलें हैं जिनमें से 3 बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं और 15 किसी तरह से थोड़ा-बहुत काम कर रही हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : भंडारी जी, ये बातें आ गई हैं पहले।

उपसभापति : गौतम जी, हाऊस में हरेक को बोलने का हक है। यह हक आपको नहीं है कि आप बात-बेबात टोकते रहें। उनकी बात सुन लीजिए। बिहार स्टेट की कुछ प्रॉब्लम है, वे भी हमारे देश के ही लोग हैं, वे अपनी समस्या बता रहे हैं। अब यह तो सरकार के ऊपर है कि वह कहां तक उनकी बात मानती है। वैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वे जितना मान सकते हैं, मान लेंगे। इधर के लोगों ने भी वहां के बारे में चिंता व्यक्त की है। उनकी बातों को सीरियसली सुनिए। हम लोग कोई हंसी-मज़ाक नहीं कर रहे हैं, साढ़े चार घंटे से मैं यहां पर बैठी हूं, इसीलिए बैठी हूं कि काम जरा अच्छा हो जाए।

श्री जीवन राय : यह मज़ाक का सवाल नहीं है। वहां बहुत भयंकर स्थिति है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Jibon Roy, it applies to you also. I don't want to hear anything more from you.

श्री रामदेव भंडारी : महोदया, बिहार में 18 चीनी मिलें हैं और उनको फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है और बिहार सरकार ने 15 और नयी मिलों की स्थापना करने की सिफारिश की है। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि शेष बिहार में सिर्फ चीनी उद्योग ही ऐसा उद्योग है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उस उद्योग को पुनर्जीवित

किया जाए और साथ ही नयी 15 मिलें खोलने के लिए जो संस्तुति की गई है, उसे भी स्वीकार किया जाए और उसके लिए पर्याप्त कोष की व्यवस्था की जाए।

महोदया, एक और मामला है जल जमाव का। आप जानती हैं कि बिहार में एक तरफ बाढ़ का मामला है और दूसरी तरफ जल जमाव का मामला है। मुकामा टाल के बारे में आपने सुना होगा, वहां साल भर पानी भरा रहता है। इसके अतिरिक्त और भी इलाके हैं, जहां जल जमाव रहता है। यह एक बड़ी समस्या है। वहां खेती हो सकती है और दूसरे अन्य काम भी हो सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने योजना बनाई है मगर बिहार सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है जिससे कि वह इन योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल जमाव और जल निकासी के बारे में बिहार सरकार ने जो संस्तुति दी है, उस पर आप अवश्य ध्यान दें। मैडम्, एक बार मैं फिर गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी, छोटा नागपुर के लोग खुश हैं, हमारी पार्टी पहले भी चाहती थी कि वृहद् झारखंड बने। आपने वृहद् झारखंड नहीं बनाया और झारखंड बनाया। मगर शेष बिहार जहां 70 प्रतिशत आबादी रहती है उसकी स्थिति बहुत खराब होने जा रही है इसलिए केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जिस पैकेज की मांग हमारे बिहार के माननीय सदस्यों ने की है वह पैकेज भी आप मुहैया करें। आपने शेष बिहार के बारे में जो चिंता व्यक्त की है उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I put amendment, (No. 9) moved by Shri Ram Deo Bhandary to vote.

The motion was negatived.

Clause 48 was added to the Bill.

Clauses 49 to 60 were added to the Bill.

CLAUSE 61 - CERTAIN EXPENDITURE TO BE CHARGED ON CONSOLIDATED FUND

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment (No. 10) to be moved by Shri Ram Deo Bhandari:

SHRI RAM DEO BHANDARY: Madam, I move:

That at page 13, *after* line 46, the following be *inserted*, namely:-

> "(2) After the constitution of State of Jharkhand, an amount of Rupees One Lakh seventy nine thousand nine hundred crores shall be provided to the

successor State of Bihar from the Consolidated Fund of India as an economic package.

(No. 10)

(3) At least, an amount of Rupees one lakh crores shall be provided from the Consolidated Fund of India for overall development of new State of Jharkhand.

(4) The State of Bihar shall be given the status of most backward State so that it may be provided with 90 per cent grant and 10 per cent assistance by the Central Government.

The question was proposed.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 61 was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is an amendment, (No. 7) for insertion of two new clauses, clauses 61A and 61B, by Mr. Nagendra Nath Ojha. Are you moving?

SHRI NAGENDRA NATH OJHA : Madam, I am not moving.

Clauses 62 to 64 were added to the Bill.

CLAUSE 65 - PROVISIONS AS TO CERTAIN COMPANIES

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, (No. 11) by Shri Ram Deo Bhandary.

SHRI RAM DEO BHANDARY: Madam, I move:

That at page 16, *after* line 23, the following be *inserted*, namely:-

(No. 11) "(c) That the Central Government shall revive the 15 closed sugar mills of Bihar State Sugar Corporation by utilisation of their funds."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 65 was added to the Bill.

Clauses 66 to 77 were added to the Bill.

CLAUSE 78 - WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND ITS MANAGEMENT

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment (No. 12) to be moved by Shri Ram Deo Bhandari:

SHRI RAM DEO BHANDARY: Madam, I move:

That at page 20, *after* line 28, the following be *inserted*, namely:-

> "(4) (a) The Central Government shall bear the expenses for the drainage of logged water and for the completion of second phase of Kosi Gandak Project.
>
> (b) The Central Government shall compensate for the loss incurred every year due to floods and droughts and shall bear all the incurring expenditure on account of flood control."

(No.12)

The question was put and the motion was negatived.

Clause 78 was added to the Bill.

Clauses 79 to 92 were added to the Bill.

FIRST SCHEDULE

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments No.3 by Shri R.K. Anand and NO. 26 by Shri L.K. Advani. Mr. Anand, are you moving?

SHRI R.K. ANAND: I am not moving.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Advani.

SHRI L.K. ADVANI: Madam, I move:

(No. 26)

That at page 24, lines 19-21, *for* the words "such two as the Chairman of the Council of the States may determine by drawing lot, shall be deemed to have been elected to fill two of the seats allotted to the State of Jharkhand" the words "Shri S.S. Ahluwalia and Shri Ram Kumar Anand shall be deemed to have been elected to fill two of the seats allotted to the State of Jharkhand" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The First Schedule, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Second Schedule. There is one amendment by Shri Panda. He is not here. So, I shall now put the Second Schedule to vote.

The Second Schedule was added to the Bill.

The Third Schedule, the Fourth Schedule,and the Fifth Schedule were added to the Bill.

The Sixth Schedule

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Sixth schedule. There are three amendments (Nos. 27, 28 and 29) by Shri L.K. Advani.

SHRI L.K. ADVANI: Madam, I move.

(No. 27) That at page 35, line 5, for the figures "'XIX' and 'XX'" the figures "'XXI' and 'XXII'" be *substituted.*

(No. 28) That at page 35, line 10 *for* the figure "XIX" the figure "XXI" be *substituted.*

(No.29) That at page 35, *for* line 11, the following be *substituted* namely:-

"Part XXII - Jharkhand."

The questions were put and the motions were adopted.

The Sixth Schedule, as amended, was added to the Bill.

The Seventh Schedule, the Eighth Schedule, the Ninth Schedule and the Tenth Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI L.K. ADVANI: Madam, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House had agreed that we are not going to take up the Private Members' Business today, though it was listed for today. We thank Shri Suresh Pachouri for his cooperation. I also thank the House for its cooperation in getting this Bill passed. The Private Members' Business will be taken up next time.

THRI VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, what happened to the Resolution?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Resolution on Population will cally go to the last Friday of the Session. The House is adjourned till 11.00 a.m. on 16th August, 2000.

The House then adjourned at thirty-eight minutes past four of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 16th August, 2000